80 अक़वाले बुज़ुर्गाने दीन की रौशनी में
शरीअ़त और तरीक़त के मुतअल्लिक़ गुमराही और ऐतराज़ात
के जवाबात

शरीअ़त और तरीक़त

**आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े
ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना।**

मुसन्निफ़
आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत, मुजद्दिद-ए-दीन-ओ-मिल्लत
इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी رضي الله عنه

मुतर्जिम :
सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी

GKR Digital Publisher

GKR Digital PUBLISHER

About Publisher

GKR (Ghaus o Khwaja o Raza) Digital Publisher ek Sunni Islamic digital publishing platform hai jo Islami kitaabon aur taleemaat ko nayi soch aur updated andaz me logon tak pahuchane ka kaam karta hai. Yah platform khas kar Islami kitaabon ko **Hindi aur Roman** script me translate karta hai, taaki ilm-e-deen (Islamic knowledge) ko aam logon aur khaas tabqe (awam aur khwas) tak asaan aur samajhne layak format me pesh kiya ja sake.

Join Team Member

Agar aap GKR ke saath judna chahte hain ya is platform ke zariye koi kitaab Translate/publish karana chahte hain, to yah ek behtareen moka hai ilm-e-deen ko doosron tak pahunchaane ka.

Founder :
Writer | Translator | Creator | Designer | Composer
Sufi Anwar Raza Khan Qadri
9534124663 (GP/Phone)
(Mureede Tajush Sharia)
Ba Faize Roohani Huzoor Khawaja Garib Nawaz

www.ghausokhwajaorazatrust.com

Donate to Islam

Anwar Khan

Indian Bank 8894

किताब नाम	:	शरीअ़त और तरीक़त
मुसन्निफ़	:	*इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी*
भाषाः	:	हिन्दी
मुतरर्जिम	:	सूफ़ी अनवर रजा खान क़ादरी
कैटेगरी	:	फ़िक़्ह और तसव्वुफ़
कंपोज़िंग और डिज़ाइनिंगः	:	सूफ़ी अनवर रजा खान क़ादरी
PDF	:	GKR Digital Publisher
साल	:	1 जून 2025 (1446 हिजरी)
पेज	:	71

हम्द व सना

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए

- जो 1 माबूदे हक़ीक़ी है । उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल (काम) में, न अहकाम में, न अस्मा में
- जिसने अपनी क़ुदरत से हमे तमाम मख़्लूक में सबसे अफ़ज़ल यानी इंसान बनाया
- जिसने अपने फ़ज़्लों करम से हमे तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल अपने हबीब का उम्मती यानी मुसलमान बनाया
- जिसने अपने रहमो करम से हमे इस उम्मत के सवाद ए आज़म में से यानी सुन्नी बनाया।
- जिसने दौर के मुताबिक अपने वली हुज़ूर आला हज़रत के जरिये हमे सुन्नियों में अफज़ल यानी बरैलवी बनाया।
- तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है जिसके लिए हम बरैलवी हक़ वालों से महब्बत और बातिल फ़िरकों से नफ़रत करते है।
- दरूद व सलाम हो उस नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जिसे तूने अपनी नूर की तजल्ली से बनाया और सारे जहां के लिए रहमत बनाकर हम गुनहगार उम्मतियों का नबी बनाया व सलामती हो असहाब पर और नबी के आल पर और सलामती हो उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर जिन्होंने तुझे राज़ी किया।

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

शरीअ़त और तरीक़त 7

मौजूदा दौर में इस किताब की ज़रूरत क्यों? 8

किताब की शुरूआत यहाँ से 9

मसअला 9

दरख़्वास्त: 10

"अल जवाब" 11

जवाब 11

शरीअ़त का मानी 12

तरीक़त का मानी 13

शरीअ़त ओ तरीक़त की मिसाल 15

पहला क़ौल: 28

दूसरा क़ौल: 28

तीसरा क़ौल: 29

चौथा क़ौल: 29

पांचवा क़ौल: 29

छठा क़ौल: 30

सातवा क़ौल: 30

आठवां क़ौल: 30

नौवां क़ौल: 30

दसवां क़ौल: 31

ग्यारहवां क़ौल: 31

बारहवां क़ौल: 32

तेरहवां क़ौल: 33

चौदहवां क़ौल: 33

पंद्रहवां क़ौल: 33

सोलहवां क़ौल: 34

सत्रहवां क़ौलः 34
अठारहवां क़ौलः 34
उन्नीसवां क़ौलः 35
बीसवां क़ौलः 35
इक्कीसवां क़ौलः 35
बाईसवां क़ौलः 36
तेईसवां क़ौलः 36
चौबीसवां क़ौलः 36
पच्चीसवां क़ौलः 37
छब्बीसवां क़ौलः 37
सत्ताईसवां क़ौलः 38
अठाईसवां क़ौलः 38
उनतीसवां क़ौलः 38
तीसवां क़ौलः 39
इकतीसवां क़ौलः 39
बत्तीसवां क़ौलः 40
तैंतीसवां क़ौलः 40
चौंतीसवां क़ौलः 41
पैंतीसवां क़ौलः 41
छत्तीसवां क़ौलः 41
सैंतीसवां क़ौलः 41
अड़तीसवां क़ौलः 43
उनतालीसवां क़ौलः 43
चालीसवां क़ौलः 45
1. हुज़ूर गौस-ए-पाक (रदीयल्लाहु अन्हु)। 45
2. हज़रत सैय्यद अहमद रिफ़ाई। 45
3. सैय्यद अहमद कबीर बदावी। 45

4. सैय्यदी हज़रत इब्राहीम दसूक़ी। 45
इकतालीसवां क़ौल: 45
बयालीसवां क़ौल: 46
तैंतालीसवां क़ौल: 46
चौवालीसवां क़ौल: 47
पैंतालीसवां क़ौल: 47
छियालीसवां क़ौल: 48
सैंतालीसवां क़ौल: 48
अड़तालीसवां क़ौल: 48
उनचासवां क़ौल: 48
पचासवां क़ौल: 49
इक्यावनवां क़ौल: 49
बावनवां क़ौल: 49
तिरपनवां क़ौल: 50
चौवनवां क़ौल: 51
पचपनवां क़ौल: 51
छप्पनवां क़ौल: 52
सतावनवा कौल: 56
चंद नफाइस फवाइद: 57
अनठनवां क़ौल: 60
उनसठवां क़ौल: 61
ख़ातिमा: 63
तक्मिला: 63

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताब : शरीअ़त और तरीक़त

मुअल्लिफ़: इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी (आला हज़रत)

*"**शरीअ़त और तरीक़त**" इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की एक मशहूर तस्नीफ़ है जिसमें इस्लामी शरीअत और सूफ़ियाना तरीअत के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह किया गया है। ये किताब दीन-ए-इस्लाम की बुनियादी तालीमात के साथ-साथ सूफ़ियाना इस्लाहात पर भी रोशनी डालती है।*

इस किताब में आला हज़रत ने शरीअत को इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद करार दिया है और तरीअत को इसकी रूहानी तकमील के तौर पर पेश किया है। किताब में उन्होंने वाज़ेह किया है कि शरीअत के बग़ैर तरीअत बेमानी है और तरीअत के बग़ैर शरीअत अधूरी है।

आला हज़रत ने इस किताब में क़ुरान व हदीस के हवाले से शरीअत की अहमियत को बयान किया है और ये भी बताया है कि तरीअत किस तरह इंसान को क़ुर्ब-ए-इलाही की मंज़िल तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि वो शरीअत की पाबंदी के साथ हो।

ये किताब इस्लामी तालीमात, रूहानियत और अख़लाक़ियात के शौकीनों के लिए निहायत मुफ़ीद और रहनुमाई फराहम करने वाली है। इसके ज़रिए क़ारीन शरीअ़त और तरीक़त के हक़ीक़ी मफहूम को बेहतर अंदाज़ में समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ढाल सकते हैं।

मौजूदा दौर में इस किताब की ज़रूरत क्यों?

आज जाहिल भी हैं आलिम का लबादा ओढ़े

ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना।

__जाहिल सूफ़िया__ और __नक़ली पीर__ जो अपनी तबीयत की बुनियाद पर शरई इख़्तिलाफ़ पैदा करते हैं, उनसे अवाम को बचाया जाए।

मौजूदा दौर में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो खुद को सूफ़ी या आलिम कह कर दीन के नाम पर ग़लत अकीदा और आमाल की तबलीग करते हैं। ये लोग अपनी जहालत या दुनियावी मफ़ादात की ख़ातिर अवाम को गुमराह करते हैं और दीन की सही तालीमात को मस्ख़ कर देते हैं।

__"शरीअ़त और तरीक़त"__ जैसी किताबों का मुताला इन जाहिल अफ़राद के असरात से अवाम को महफ़ूज़ रखने में इंतिहाई मददगार साबित हो सकता है। इस किताब में दीन के सही उसूलों को बुज़ूर्गों के अक़वाल की रोशनी में पेश किया गया है, ताकि लोग झूठे दावेदारों के फ़रेब में न आएं और शरीअत के हक़ीक़ी मफ़हूम को समझ सकें।

लिहाज़ा, ऐसी किताबें अवाम को जाहिल सूफ़िया और नक़ली पीरों के असरात से महफ़ूज़ रखने के लिए निहायत अहम हैं।

किताब की शुरूआत यहाँ से

मसअला:

क्या फ़रमाते हैं उलमा-ए-दीन और वारिसान अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस मसअले में कि **ज़ैद** कहता है कि हदीस मुबारक,

العلماء ورثة الأنبياء

"अल-उलमा वरासतुल अंबिया"

(तर्जमा) : उलमा अंबिया के वारिस हैं। – *(सुनन अबी दाऊद, 3/317)* –

इस हदीस में शरीअ़त और तरीक़त दोनों के उलमा दाख़िल हैं, और जो शख़्स शरीअ़त और तरीक़त दोनों का जामे है, वो विरासत के सबब से अज़ीम और बा-इज़्ज़त रहते हैं और सब से कामिल दर्जे पर फ़ाइज़ है। जबकि **अम्र (गुमराह शख़्स)** का बयान है:

1. शरीअ़त सिर्फ़ कुछ फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों और मुस्तहब्बात का, और हलाल और हराम के कुछ मसाइल का नाम है, जैसे वुज़ू और नमाज़ की सूरत।
2. और तरीक़त नाम है अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने का।
3. इसमें नमाज़ वग़ैरा की हक़ीक़त खुल जाती है।
4. तरीक़त एक मौजें मारता हुआ दरिया और ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, और शरीअ़त इस दरिया के मुक़ाबले में एक क़तरा है।
5. अंबिया की विरासत का मक़सद यही अल्लाह त'आला की बारगाह तक पहुँचना है, और शान-ए-नुबूव्वत और रिसालत का यही तक़ाज़ा है, और

अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी बतौर ख़ास इसी मक़सद के लिए भेजे गए।

6. भाइयो! उलमा-ए-ज़ाहिर किसी तरह इस विरासत की क़ाबिलियत नहीं रखते।

7. इन्हें "उलमा-ए-रब्बानी" वग़ैरा कहा जा सकता है।

8. इन उलमा के मक्र और फ़रेब के जाल से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ये लोग मआज़अल्लाह शैतान हैं।

9. ये उलमा तरीक़त के रास्ते में रुकावट और दीवार हैं, हालाँकि तरीक़त ही असल मंज़िल है।

10. ये 10 बातें मैं अपनी तरफ़ से नहीं कहता, बल्कि बहुत से उलमा और औलिया ने अपनी अपनी तसनीफ़ में इन बातों की तसिरीह की है।

अम्र (गुमराह शख्स) ने ऐसी ही मज़ीद बातें कही हैं।

दरख़्वास्त:

ज़ैद और **अम्र (गुमराह शख्स)** में से किस का क़ौल सहीह है? और इस मसअले में तहक़ीक़ क्या है? अगर अम्र (गुमराह शख्स) ग़लती पर है, तो उस पर कोई शरई गिरफ़्त भी है या नहीं? वो कहता है कि मेरी ग़लती तब साबित होगी जब मेरे अक़्वाल का ग़लत होना औलिया के अक़्वाल से साबित किया जाए, जिन से हिदायत मिलती है। उन के अक़्वाल के इलावा मेरे अक़्वाल ग़लत साबित नहीं हो सकते।

(मुकम्मल तफ़सील से जवाब दें,

आप को क़यामत के दिन अज्र मिलेगा।)

"अल जवाब"

बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम

तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने शरीअ़त नाज़िल फरमाई और उसी को अपनी बरगाह तक पहुंचने का ज़रिया बनाया। पस जो शरीअ़त के इलावा कोई और रास्ता तलाश करे वो खसारे में और ख्वाहिश-ए-नफ्स का पैरुकार होगा और गुमराह ओ सरकश होगा। अफज़ल दरूद और सबसे मुकम्मल सलाम हो उन पर जो तमाम रसूलों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं और अल्लाह त'आला के रास्तों की तरफ बुलाने वालों में सबसे अफज़ल हैं।

पस शरीअ़त के ज़रिए ही सबसे बड़े और बुलंद रुतबे (यानी अल्लाह की बरगाह तक पहुंचना) नसीब होता है। और जिसने शरीअ़त की मुखालिफत की तो वो भी पहुंच गया लेकिन कहां? जहन्नम में। और दरूद ओ सलाम हो नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और अशहाब पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह पर जो इल्म के वारिस हैं और हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सीखने वाले हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।

ऐ अल्लाह तेरे लिए हम्द है ऐ मेरे रब! मैं शैतान के हमलों से तेरी पनाह मांगता हूँ और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस बात से कि शैतान मेरे पास आएँ।

जवाब

ज़ैद का क़ौल हक़ और सहीह है जबकि अम्र (गुमराह शख्स) का गुमान बातिल, घिनौना और खुली बे-दीनी है। उसके शैतानियत से भरपूर कलाम में 10 फ़िक्रे हैं, हम उन सब (10 Point) के मुताल्लिक़ थोड़ी-

थोड़ी ऐसी गुफ़्तगू करेंगे कि इंशा अल्लाह अल-करीम मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद और नफ़ा बख़्श हो और शैतानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाली हो|

शरीअ़त का मानी

1. **जवाब** : अम्र (गुमराह शख़्स) का ये क़ौल कि शरीअ़त सिर्फ़ फ़र्ज़, वाजिब, हलाल, हराम के चंद मसाइल का नाम है, महज़ अंधापन है| शरीअ़त जिस्म ओ जान, रूह ओ क़ल्ब और तमाम उलूम-ए-इलाही और ला-मुतनाही मआरिफ़ सब की जामिया है| इन मज़कूर तमाम चीज़ों में से तरीक़त ओ मआरिफ़त महज़ एक टुकड़े का नाम है| और इस वजह से तमाम औलिया कराम के क़तई इज्तिमा से फ़र्ज़ है कि तमाम हक़ाइक़ को शरीअ़त-ए-मुतह्हरा पर पेश किया जाए| अगर वो हक़ाइक़ शरीअ़त के मुताबिक़ हों तो हक़ और क़ाबिल-ए-कुबूल हैं, वरना मर्दूद ओ रुस्वा हैं| तो यक़ीनन क़तअन शरीअ़त ही असल कार है और शरीअ़त ही सब का दर-ओ-मदार है|

शरीअ़त ही कसौटी और मियार है| शरीअ़त का मानी है रास्ता और शरीअ़त-ए-मुहम्मदी का तर्जुमा है मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता| तो ये मानी अपने उमूम ओ इत्लाक़ के एतिबार से तमाम ज़ाहिर ओ बातिन को शामिल है, सिर्फ़ चंद जिस्मानी अहकाम के साथ ख़ास नहीं|

यही वो रास्ता है कि पांचों वक़्त हर नमाज़, बल्के हर रकअत में उसका मांगना और उस पर साबित क़दमी की दुआ करना हर मुसलमान पर वाजिब है, यानी सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है और उसमें “इह्दिना अस-सिरात अल-मुस्तक़ीम“ भी है जिसमें ये दुआ है कि हम को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चला, उनकी शरीअ़त पर साबित क़दम रख|

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और इमाम अबू अल-आलिया और इमाम हसन बसिरी (रदीयल्लाहु अन्हु)म फ़रमाते हैं कि "सिरात अल-मुस्तक़ीम" मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बक्र सिद्दीक़ और उमर फारूक़ हैं (रदीयल्लाहु अन्हु)म (अद-दुर्र अल-मक्नूज़, 40, मतबुआ बेरूत)।

यही शरीअ़त वो राह है जिस पर ख़ुदा मिलता है,

चुनांचे क़ुरान मजीद में है: **"इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम"** (हूद: 56)।

तर्जुमा : बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर मिलता है

और शरीअ़त ही वो राह है जिस की मुखालिफत करने वाला बद-दीन गुमराह है,

चुनांचे क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व त'आला ने फ़रमाया:

"या हबीब, तुम फरमा दो कि ये शरीअ़त मेरी सीधी राह है, तो इसकी पैरवी करो और इसके सिवा और रास्तों के पीछे न जाओ कि वो तुम्हें ख़ुदा की राह से जुदा कर देंगे। अल्लाह तुम्हें इसकी ताकीद फरमाता है ता कि तुम परहेज़गारी करो" (अल-अनआम: 153)।

देखो क़ुरान-ए-अज़ीम ने साफ़ फरमा दिया कि शरीअ़त ही सिर्फ़ वो राह है जिस से अल्लाह त'आला की बरगाह तक पहुंचना नसीब होता है। इसके सिवा आदमी जो राह चलेगा, अल्लाह की राह से दूर जा पड़ेगा।

तरीक़त का मानी

2. **जवाब** : अम्र (गुमराह शख्स) का दूसरा क़ौल कि तरीक़त अल्लाह त'आला की बरगाह तक पहुंचने का नाम है, महज़ पागलपन और जहालत है। मामूली सा पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि तरीक़,

तरीक़ा, तरीक़त इन तीनों लफ़्ज़ों का मानी है रास्ता, न कि पहुंच जाना। तो यक़ीनन तरीक़त भी रास्ते ही का नाम है। अब अगर वो रास्ता शरीअ़त से जुदा हो तो क़ुरान-ए-अज़ीम की गवाही के मुताबिक़ (अल-अनआम: 153) वो अल्लाह त'आला तक न पहुंचाएगा बल्के शैतान तक पहुंचाएगा और वो रास्ता जन्नत में नहीं बल्के जहन्नम में ले जाएगा, क्योंकि शरीअ़त के इलावा तमाम राहों को क़ुरान-ए-अज़ीम ने बातिल ओ मर्दूद क़रार दिया है। तो लाज़िमी तौर पर साबित हुआ कि तरीक़त यही शरीअ़त है और इसी रोशन राह का एक टुकड़ा है। और तरीक़त का शरीअ़त से जुदा होना नामुमकिन है। जो इसे शरीअ़त से जुदा मानता है वो तरीक़त को ख़ुदा का रास्ता नहीं बल्के इब्लीस का रास्ता मानता है।

मगर सहीह और सच्ची तरीक़त हरगिज़ शैतान का रास्ता नहीं बल्के वो क़तई तौर पर ख़ुदा अज़्ज़ावजल का रास्ता है। जब तरीक़त ख़ुदा का रास्ता है तो यक़ीनन वो शरीअ़त-ए-मुतह्हरा ही का हिस्सा है (यानी शरीअत और तरीक़त अलग नहीं)।

3. **जवाब** : तरीक़त में जो हक़ाइक़ वग़ैरा आदमी पर खुलते हैं वो शरीअ़त की पैरवी ही का सदक़ा है। वरना शरीअ़त की पैरवी के बग़ैर बड़े-बड़े कश्फ़ तो राहिबों और हिंदू योगियों, संन्यासियों को भी होते हैं। उनके कश्फ़ उन्हें कहां ले जाते हैं? इसी भड़कती आग और दर्दनाक अज़ाब की तरफ ले जाते हैं। लिहाज़ा शरीअ़त की पैरवी के बग़ैर किसी कश्फ़ का कोई फ़ायदा नहीं।

4. **जवाब** : शरीअ़त को क़तरा और तरीक़त को दरिया कहना उस मजनू और पक्के पागल का काम है जिसने ये सुन रखा है कि दरिया का पाट बहुत वसी होता है लेकिन वो नहीं जानता कि इस पाट की वसाअत किस वजह से है।

शरीअ़त ओ तरीक़त की मिसाल

शरीअ़त मंबा है यानी पानी फूटने की जगह और तरीक़त इस मंबा से निकला हुआ दरिया, बल्के शरीअ़त तो इस मिसाल से भी बुलंद ओ बाला है कि इस मिसाल से शरीअ़त की कमा हक़्क़ा अहमियत वाज़ेह नहीं होती, क्योंकि पानी जिस जगह (मंबा) से निकलता है ज़मीनों को सीराब करते वक़्त इस निकलने वाली जगह का मोहताज नहीं कि वहां से तो ये बाहर आ ही गया। यून्ही दरिया से नफ़ा उठाने वालों को दरिया के निकलने की जगह की कुछ हाजत नहीं कि जब उन्हें पानी मिल गया तो उन्हें पानी निकलने की जगह से क्या ताल्लुक़, वो बाक़ी रहे या न रहे। लेकिन शरीअ़त ऐसा मंबा है कि इससे निकले हुए दरिया यानी तरीक़त को हर वक़्त अपने मंबा की हाजत है। इस अस्ल यानी शरीअ़त से ताल्लुक़ टूटते ही सिर्फ़ ये ही नहीं होगा कि आइंदा के लिए मदद मौक़ूफ़ हो जाएगी और फ़िल हाल जितना पानी आ चुका उससे फ़ायदा हासिल होता रहेगा बल्के जैसे ही शरीअ़त से ताल्लुक़ टूटा फ़ौरन तरीक़त का दरिया फ़ना हो जाएगा, बुंद तो बुंद पानी की नमी का नाम भी नज़र न आएगा। और काश कि इससे इतना ही नुक़सान होता कि शरीअ़त का दरिया सूखने से बाग़ात सूख जाएं, खेत मुरझा जाएं और आदमी प्यास से तड़पते रहें लेकिन हरगिज़ सिर्फ़ इतना नुक़सान नहीं होगा बल्के तरीक़त के दरिया का ताल्लुक़ जैसे ही अपने निकलने के मक़ाम यानी शरीअ़त से टूटेगा वो तमाम दरिया शोले मारती हुई भड़कती आग में तब्दील हो जाएगा। और फिर काश कि वो शोले ज़ाहिरी आंखों से देखे जा सकते ता कि जो लोग शरीअ़त से ताल्लुक़ तोड़ कर के जले और ख़ाक सियाह हुए उन्हें देख कर दूसरे लोग बच जाते और उनके बुरा अन्जाम से इबरत हासिल करते मगर ऐसा नहीं है बल्के वो आग तो **“नारुल्लाह अल-मूक़दा अल्लती तलअु अलल अफ़्दिा“** तर्जुमा **“अल्लाह की आग भड़क रही है वह जो दिलों पर चढ़ जाएगी”** (अल-हुमज़ाह: 6-7)।

अंदर से दिल जल जाते हैं, ईमान बर्बाद हो जाता है लेकिन ज़ाहिर में वही तरीक़त का पानी नज़र आता है जो शैतान धोके से उन्हें दिखाता है। देखने में दरिया और हक़ीक़त में आग का भड़कता हुआ शोला। अफ़सोस कि इस पर्दे ने लाखों को हलाक़ कर दिया।

शरीअ़त व तरीक़त और दरिया मंबा की मिसाल के दरमियान एक अज़ीम फ़र्क़ और भी है जिस की तरफ पहले इशारा किया कि दरिया से नफ़ा उठाने वालों को नफ़ा उठाते हुए दरिया के निकलने की जगह की कोई हाजत नहीं लेकिन तरीक़त से नफ़ा उठाने वालों को हर वक़्त और हर लम्हा शरीअ़त की मोहताजी रहती है, क्योंकि तरीक़त का ये पाकीज़ा मीठा दरिया जो शरीअ़त के बरकत वाले सरचश्मा से निकल कर फ़ैज़याब कर रहा है, इसके साथ साथ एक सख़्त ख़ारी नापाक दरिया भी बहता है। **“हज़ा अज़ाबुन फ़ुरातुन साइउन शराबुहु व हज़ा मिल्हुन उजाज“ (तर्जुमा)** ये मीठा है ख़ूब मीठा पानी ख़ुशगवार और ये ख़ारी है तल्ख़। (फ़ातिर: 12)।

यहां ज़ेहन में सवाल आएगा वो दूसरा ख़ारी दरिया क्या है? तो सुनिए वो शैतान मलऊन के वसवसे और धोके हैं। तो तरीक़त के शीरीन दरिया से नफ़ा लेने वालों को हर लम्हा इस बात की ज़रूरत है कि हर नई लहर पर इस लहर के रंग, मज़ा, बू को अस्ल मंबा यानी शरीअ़त के रंग, मज़ा, बू से मिलाते रहें ता कि पता चल जाए कि ये लहर शरीअ़त के मंबा से आई है या शैतानी पेशाब की बदबूदार ख़ारी धारा धोका दे रही है।

लेकिन यहां ज़ेहन में ये बात आती है कि जब दोनों दरियाओं में रंग, बू, मज़ाओं में इतना वाज़ेह फ़र्क़ है तो जैसे ही कोई शैतानी चक्कर होगा आदमी को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये तरीक़त का साफ़ शीरीन दरिया नहीं बल्के शैतान की तरफ़ से धोका है। इस सवाल का जवाब ये है कि अस्ल कठिन मरहला यहां पर ये है कि तरीक़त का पाक मुबारक

मंबा इतना लतीफ़ और नफ़ीस है कि कमाल लतीफ़त की वजह से उसका मज़ा बहुत जल्द ज़ुबान से उतर जाता है। रंगत, मज़ा, बू कुछ याद नहीं रहती और इसके साथ ही चखने, सूंघने और देखने के मअनवी एहसास भी फ़ासिद हो जाते हैं और फिर आदमी को गुलाब और पेशाब में तमीज़ नहीं रहती। वो इब्लीस का ख़ारी, बदबूदार, बदरंग पेशाब घटाघट चढ़ा जाता है और गुमान ये करता है कि तरीक़त के दरिया का मीठा, ख़ुशबूदार और ख़ुश रंग पानी पी रहा हूं। इस सारी गुफ़्तगू से मालूम हुआ कि शरीअ़त मंबा और दरिया की मिसाल से बहुत बुलंद है।

"وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى" (अन-नहल: 60)। **(तर्जुमा) "और अल्लाह की शान सबसे बुलन्द है"।**

शरीअ़त-ए-मुतह्हरा एक रब्बानी नूर का फ़ानूस है कि दीनी जहान में इसके सिवा कोई रोशनी नहीं और इस रोशनी की कोई हद नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इस नूर में ज़ियादती और इज़ाफ़ा पाने के तरीक़ों का नाम तरीक़त है। यही रोशनी बढ़ कर सुबह और फिर सूरज और उसके बाद सूरज से भी ज़्यादा ग़ैर मुतनाही दर्जों तक तरक़्क़ी करती है। इसी से अश्या की हक़ीक़तें खुलती हैं और नूर-ए-हक़ीक़ी तजल्ली फरमाता है। इसी रोशनी को इल्म के मर्तबे में मआरिफ़त और मर्तबा-ए-तहक़ीक़ में हक़ीक़त कहते हैं, यानी अस्ल वही एक शरीअ़त है मुख़्तलिफ़ मर्तबों के एतिबार से इसके मुख़्तलिफ़ नाम रखे जाते हैं। जब शरीअ़त का ये नूर बढ़ कर सुबह की तरह हो जाता है तो इब्लीस लाएन ख़ैर ख़्वाह बन कर आता है और उसे कहता है चिराग़ बुझा दो (यानी शरीअ़त को छोड़ दो) कि अब तो सुबह ख़ूब रोशन हो गई है। अगर आदमी शैतान के धोके में न आए तो शरीअ़त का ये नूर बढ़ कर दिन हो जाता है। इस पर शैतान कहता है क्या अब भी चिराग़ न बुझाएगा अब तो सूरज रोशन है अब तुझे चिराग़ की क्या हाजत है रोज़ रोशन में शमा जलाना तो बेवकूफ़ का काम है। यहां पर अगर हिदायत-ए-इलाही आदमी की मदद फरमाए

तो बंदा “ला हौला“ पढ़ कर शैतान को भगा देता है और ये कहता है कि अये अल्लाह के दुश्मन ये जिसे तू दिन या सूरज कह रहा है ये आख़रि क्या है? इसी फ़ानूस-ए-शरीअ़त ही का नूर है अगर इसे बुझा दिया तो नूर कहां से आएगा। ये कहने पर शैतान ना काम ओ नामुराद हो जाता है और बंदा अल्लाह त'आला की मदद से नूर-ए-हक़ीक़ी तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर बंदा शैतान के फरेब में आ गया और समझा कि हां दिन तो हो गया अब मुझे चिराग़ की क्या हाजत रही और ये समझ कर उसने शरीअ़त का चिराग़ बुझा दिया तो जैसे ही ये चिराग़ बुझाएगा हर तरफ़ सख़्त अंधेरा हो जाएगा कि जैसे ही उसे बुझाया हर तरफ़ ऐसा सख़्त अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ सूझे नहीं देता जैसा कि क़ुरान-ए-अज़ीम ने फ़रमाया: “***या जैसे अंधेरियां किसी कुंडे के (गहराई वाले) दरिया में उसके ऊपर मौज, मौज के ऊपर और मौज, उसके ऊपर बादल, अंधेरे हैं एक पर एक जब अपना हाथ निकाले तो सुझाई देता मालूम न हो और जिसे अल्लाह नूर न दे उसके लिये कहीं नूर नहीं***“ (अन-नूर: 40)।

तो ये हैं वो लोग जो तरीक़त बल्के इससे बुलंद मर्तबा हक़ीक़त तक पहुंच कर अपने आप को शरीअ़त से बे परवाह समझे और शैतान के धोके में आ कर इस फ़ानूस-ए-इलाही को बुझा दिया और तबाह ओ बर्बाद हो गए और यहां पर भी वही पहले वाला मुआमला है कि काश यही होता कि इस नूर के समझने से जो आलमी गिर अंधेरा छाया वो उन्हें अपनी आंखों से नज़र आ जाता कि शायद वो नादिम हो कर तौबा करते और चुनके फ़ानूस-ए-शरीअ़त का मालिक यानी अल्लाह त'आला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह त'आला उनकी तौबा क़ुबूल फरमा कर उन्हें फिर वही रोशनी अता फरमा देता मगर यहां ये मुआमला है कि शैतान जहां धोके से आदमी के हाथ से फ़ानूस-ए-शरीअ़त बुझा देता है उसके साथ ही अपनी तरफ़ से एक साज़िशी बत्ती जला कर उनके हाथ में थमा देता है। और ये लोग उसे नूर समझते रहते हैं हालांकि हक़ीक़त में वो नूर नहीं बल्के नार यानी आग है और ये बेवकूफ़ ओ जाहिल लोग ये

समझते हैं कि शरीअ़त वालों के पास क्या है एक चिराग़ है जबकि हमारे पास तो ऐसा नूर है जो अपनी नूरानियत से सूरज को शर्मिंदा कर रहा है। शरीअ़त एक क़तरा और हमारी तरीक़त एक दरिया है लेकिन ऐसा समझने वाले जानते नहीं कि शरीअ़त ही हक़ीक़तन नूर है और शरीअ़त से जुदा हुई तरीक़त महज़ धोका ओ फरेब है और अन्करीब क़यामत में हाल खुल जाएगा कि ज़िंदगी भर बंदा-ए-ख़ुदा बन कर रहा या बंदा-ए-शैतान बन कर।

ख़ुलासा-ए-कलाम : ये है कि शरीअ़त की हाजत हर मुसलमान को एक एक सांस, एक एक पल, एक एक लम्हा पर मरते दम तक है। और तरीक़त में क़दम रखने वालों को तो ये हाजत और ज़्यादा है कि रास्ता जिस क़द्र बारीक कठिन होता है रहनुमा की हाजत भी उतनी ही ज़्यादा होती है और रहनुमा यहां पर शरीअ़त है। इसी वजह से हदीस में आया हुज़ूर सैय्यद-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: “बेग़ैर फ़िक़्ह के इबादत में पड़ने वाला ऐसा है जैसा चक्की खींचने वाला गधा कि मुशक्कत झेले और नफ़ा कुछ नहीं“ (हिल्यत अल-अवलिया)। अमीर अल-मोमिनीन मौला अली (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: “दो शख़्सों ने मेरी पीठ तोड़ दी यानी वो ऐसी मुसीबतें हैं जिन का कोई इलाज नहीं, जाहिल आबिद और वो आलिम के ऐलानिया बेबाकानह (निडर) गुनाहों का इरतिकाब करे।

ऐ अज़ीज़! शरीअ़त एक इमारत है, उसकी बुनियाद अक़ाइद और चुनाई अमल है। फिर ज़ाहिरी आमाल वो दीवारें हैं जो इस बुनियाद पर तामीर की गई हैं और जब वो तामीर ऊपर चढ़ कर आसमानों तक बुलंद हो जाती है तो तरीक़त कहलाती है। दीवार जितनी ऊंची होगी उतनी ज़्यादा उससे बुनियाद की हाजत होगी बल्के इमारत में हर ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से की हाजत होती है। अगर नीचे से दीवार निकाल दी जाए तो ऊपर वाला हिस्सा भी गिर जाएगा। तो वो शख़्स

अहमक है जिसे शैतान ने नज़र बंदी कर के उसके आमाल की बुलंदी आसमानों तक दिखाई और दिल में ये बात डाली कि तुम तो ज़मीन के दायरे से ऊपर गुज़र गए हो तुम्हें इन नीचे वालों हिस्सों की क्या हाजत और फिर इस अहमक ने शैतान के धोके में आ कर बुनियादों से ताल्लुक़ तोड़ लिया तो नतीजा वो निकला जो क़ुरान मजीद ने फ़रमाया: **“इस की इमारत इसे ले कर जहन्नम में गिर पड़ी“ (तौबा: 109)।**

अल्लाह की पनाह है इन बातों से। इसी लिए औलिया-ए-कराम रहिमहुमुल्लाह फ़रमाते हैं: “जाहिल सूफ़ी शैतान का मसख़रा है।“ इस लिए हदीस में आया हुज़ूर सैय्यद-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: “एक फ़क़ीह शैतान पर हज़ार आबिदों से ज़्यादा भारी है“ (तिर्मिज़ी)। बेग़ैर इल्म के इबादत में मुजाहिदा करने वालों को शैतान उंगलियों पर नचाता है। उनके मुंह से लगाम और नाक में निकाल डाल कर जिधर चाहे खींचता फिरता है और तरीक़त से जाहिल समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं।

5. **जवाब** : अम्र (गुमराह शख्स) का शरीअ़त को तरीक़त से जुदा समझ कर ये कहना कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिर्फ़ तरीक़त के लिए मबऊस किए गए हैं, सराही कुफ्र ओ इरतिदाद (1) व बे-दीनी ओ ज़िंदक़ पन और लाअनत का सबब है, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर शरीअ़त-ए-मुतह्हरा को मुआतिल (2) व मुहम्मल (3) और फ़ज़ूल व बातिल ठहराना है और ये कुफ्र ओ इरतिदाद है। हां अगर अम्र (गुमराह शख्स) ये कहता कि असल मक़सूद अल्लाह त'आला तक पहुंचना है तो हक़ ओ सहीह था। मगर अफ़सोस है उस पर जो अपनी शदीद जहालत की वजह से न जाने, या जाने, मगर शरीअ़त से दुश्मनी के सबब ये बात न माने कि अल्लाह त'आला तक पहुंचने का रास्ता यही मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअ़त है और कोई नहीं। हम ऊपर साबित कर आए हैं कि शरीअ़त के सिवा अल्लाह त'आला तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हैं और अगर कोई तरीक़त को शरीअ़त से जुदा रास्ता

समझता है तो हरगिज़ ऐसी तरीक़त का रास्ता अल्लाह त'आला तक न पहुंचाएगा बल्के वो रास्ता बंद है और इस पर चलने वाला मर्दूद (4) है। और अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वसल्लाम के बारे में उसका ये कहना कि वो तरीक़त के लिए भेजे गए सरासर झूठ, तोहमत और लाअंती ओ मर्दूद फ़ेल है। क्या कोई शख़्स इस बात का सबूत दे सकता है कि रसूल-ए-अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शरीअ़त के ख़िलफ़ किसी दूसरे रास्ते की तरफ़ बुलाया हो? हरगिज़ नहीं।

6. जब हुज़ूर-ए-अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर शरीअ़त की तरफ़ ही बुलाया और यही रास्ता हमारे लिए छोड़ा तो शरीअ़त का ख़ादिम, उसका हामी, उसका आलिम क्यों हुज़ूर-ए-अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ादिम न होगा? हम पूछते हैं कि अगर बिल-फ़र्ज़ शरीअ़त सिर्फ़ फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, हलाल, हराम ही के इल्म का नाम है तो ये इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या उनके ग़ैर से? अगर इस्लाम का दावा रखता है तो ज़रूर कहेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। जब ये तस्लीम है तो उसका आलिम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस न होगा तो किस का होगा? इल्म भी हुज़ूर का, तरिका भी हुज़ूर का फिर इस शरीअ़त का पाने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस न हो इसका क्या मतलब है? और अगर इसके जवाब में कोई ये कहे कि ये इल्म तो ज़रूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है मगर उसने सरकार दूसरा हिस्सा यानी इल्म-ए-बातिन हासिल न किया लिहाज़ा ये वारिस नहीं तो ऐसे आदमी से कहा जाएगा कि अये जाहिल! क्या वारिस के लिए ये ज़रूरी है कि वह मोरिस (विरासत छोड़ने वाले) का कुल माल पाए? अगर ऐसा हो तो जहान में कोई आलिम, कोई वली, कोई सिद्दीक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वारिस न बन सकेगा क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का कुल इल्म तो ग़ैर अंबिया को मिल ही नहीं सकता। इस सूरत में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

फरमान कि “उलमा वरसात उल-अंबिया“ (अल-सुनन लि अबी दाऊद, 31713) मुआज़ अल्लाह ग़लत हो कर मुहाल हो जाएगा|

और गर बिल-फ़र्ज़ शरीअ़त ओ तरीक़त दो जुदा हैं मानी और दोनों में क़तरा ओ दरिया की निस्बत मानी यानी शरीअ़त को क़तरा और तरीक़त को दरिया माना जिस तरह ये जाहिल अग्र (गुमराह शख्स) बकता है, जब भी ये कहना कि उलमा-ए-शरीअ़त अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बिल्कुल वारिस नहीं महज़ पागल है क्योंकि विरासत छोड़ने वाले के तरिका से जिस को बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा मिला वह भी वारिस होता है| और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इल्म में तो जिस को मिला थोड़ा ही मिला| बल्के अगर शरीअ़त ओ तरीक़त की जुदाई फ़र्ज़ कर लें तो भी बतौर इंसाफ़ हदीस उन तरीक़त से जाहिल शैतान के मसख़रों पर उल्टी पड़ जाएगी| यानी उलमा-ए-ज़ाहिर ही अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वसल्लाम के वारिस ठहरेंगे और उलमा-ए-बातिन विरासत-ए-अंबिया से महरूम ठहरेंगे| क्योंकि अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम नबी भी होते हैं और वली भी और उलूम-ए-नुबूवत वो होते हैं जिन्हें शरीअ़त कहते हैं जिस की तरफ़ वो आम उम्मत को दावत देते हैं और उलूम-ए-विलायत वो होते हैं जिन को ये जाहिल तरीक़त कहते हैं और वो ख़ास ख़ास लोगों को ख़ुफ़िया उलूम दिए जाते हैं| तो उलमा-ए-बातिन जो उलूम-ए-विलायत के वारिस हुए वो औलिया के वारिस ठहरे न कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के| अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस तो ये उलमा-ए-ज़ाहिर ही ठहरे जिन्होंने उलूम-ए-नुबूवत पाए मगर ये इस जाहिल की शदीद जहालत है कि शरीअ़त ओ तरीक़त को जुदा समझ रहे | हरगिज़ ये दोनों जुदा नहीं और न ही औलिया कभी ग़ैर उलमा होते हैं|

अल्लामा मनावी शरह जामे सग़ीर फिर आरिफ बिल्लाह सैय्यदी अब्दुल ग़नी नाबुलसी अलैहिर्रहमा हदीक़ा नदिया में फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: “इल्म-ए-बातिन वही जानता है जो इल्म-ए-ज़ाहिर जानता है“ और इमाम शाफ़ई (रदीयल्लाहु अन्हु)

फ़रमाते हैं: "अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया यानी बनाना चाहता तो पहले उसे इल्म दिया उसके बाद वली किया।" इल्म-ए-बातिन, इल्म-ए-ज़ाहिर ही का नतीजा होता है। तो जो इल्म-ए-ज़ाहिर नहीं रखता वो इल्म-ए-बातिन कैसे पा सकता है? अल्लाह तबारक व त'आला के मुताल्लिक़ बंदों के लिए पांच इल्म हैं:

(1) इल्म-ए-ज़ात

(2) इल्म-ए-सिफ़ात

(3) इल्म-ए-अस्मा

(4) इल्म-ए-अफ़आल

(5) इल्म-ए-अहकाम।

इन उलूम में हर पहला इल्म दूसरे की बिनस्बत ज़्यादा मुश्किल है यानी पहला इल्म सबसे मुश्किल और आख़िर इल्म सबसे आसान है। तो जो सबसे आसान इल्म यानी इल्म-ए-अहकाम हासिल करने से आजिज़ होगा वो सबसे मुश्किल इल्म-ए-ज़ात का कैसे हासिल करेगा?

अम्र (गुमराह शख्स) जाहिल ने उलमा-ए-ज़ाहिर को मुतलक़न विरासत-ए-अंबिया अलैहिमुस्सलाम से महरूम कहा हालांकि क़ुरान-ए-अज़ीम ने उन सब को अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वारिस क़रार दिया है हत्ता कि बे-अमल यानी फ़राइज़ ओ वाजिबात की पाबंदी करें मगर दीगर नेक कामों, मुस्तहब्बात ओ नवाफिल में सुस्ती करें ऐसे उलमा को भी वारिस क़रार दिया जबकि वो सहीह अक़ाइद रखते हों और सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाते हों। ये क़ैद इस लिए है कि जो अक़ाइद में सहीह नहीं और दूसरों को ग़लत अक़ाइद की तरफ़ बुलाने वाला है वो ख़ुद गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाला है। ऐसा आदमी नबी अलैहिस्सलाम का वारिस नहीं शैतान का नाइब होता है। लिहाज़ा सिर्फ़ सहीह अक़ाइद

वाला और इसकी तरफ़ दूसरों को बुलाने वाला अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वारिस है अगर चे बे-अमल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़रमाया, उलमा शरीअ़त के वारिस हैं अगर चे बे-अमल हों तो हम जवाब देते हैं कि

अल्लाह अज़्ज़ावजल ने फ़रमाया: "***फिर हमने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बन्दों को तो उनमें कोई अपनी जान पर ज़ुल्म करता है, और उनमें कोई मयाना चाल पर है, और उनमें कोई वह है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में सबक़त ले गया यही बड़ा फ़ज़्ल है***" (फ़ातिर: 32)।

इस आयत में ग़ौर करो और समझो कि वो बे-अमल ओ गुनाहों से अपनी जान पर ***ज़ुल्म*** करने वाले हैं उन्हें भी अल्लाह त'आला ने किताब का वारिस फ़रमाया और अपने चुने हुए बंदे क़रार दिया।

अहादीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तफ़्सीर में फ़रमाया: "***हम में जो सबक़त ले जाने वाला है वो तो सबक़त ले जाने वाला ही है और जो मुतवस्सित (दरमियानी) हाल का है वो भी नजात वाला है और जो अपनी जान पर ज़ालिम है उसकी भी मग़फ़िरत है***" (अद-दुर्र अल-मंसूर, 25/7, मतबुआ बेरूत)।

शरीअ़त का आलिम अगर बा-अमल भी हो तो चांद है कि ख़ुद ठंडा और दूसरों को रोशनी देने वाला और अगर बा-अमल न हो तो शमा की तरह है कि ख़ुद जले मगर दूसरों को रोशनी दे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "उस शख़्स की मिसाल जो लोगों को भलाई सिखाता है और ख़ुद को भुलाए हुए है उस फित्ते (चिराग़ की बत्ती) की तरह है जो लोगों को रोशनी देता है और ख़ुद जलता है" (बज़्ज़ार, तबरानी)। भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स क़ुरान पढ़ ले और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ख़ूब याद कर ले और उसके साथ

तबीअत सलीक़ा दार रखता हो तो वो अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वसल्लाम के नाइबों में से एक है। देखो यहां वारिस तो वारिस, अल्लाह त'आला ने ख़लीफ़त उल-अंबिया होने के लिए सिर्फ़ तीन शर्तें मुक़र्रर फरमाई कि क़ुरान ओ हदीस जाने और उनकी समझ रखता हो। ख़लीफ़ा ओ वारिस में फ़र्क़ ज़ाहिर है आदमी की तमाम औलाद उसकी वारिस है मगर जानशीन होने की लियाक़त हर एक में नहीं।

7. जब अल्लाह त'आला ने किताब के तमाम वारिसों को अपने चुने हुए बंदे फ़रमाया तो वह क़तअन अल्लाह वाले हुए और जब अल्लाह वाले हुए तो ज़रूर रब्बानी हुए।

अल्लाह अज़्ज़ावजल फरमाता है: (तर्जुमा) **"अल्लाह वाले हो जाओ इस सबब से कि तुम किताब सिखाते हो और इस से कि तुम दर्स देते हो"** (आल-ए-इमरान: 79)।

मज़ीद फ़रमाया: (तर्जुमा) **"बेशक हमने तौरात उतारी इस में हिदायत और नूर है इसके मुताबिक़ यहूद को हुक्म देते हैं हमारे फरमाबरदार नबी और आलिम और फ़क़ीह के उन से किताब अल्लाह की हिफ़ाज़त चाही गई थी और वह इस पर गवाह थे"** (सूरह अल-माइदा, आयत 44)।

इन आयतों में अल्लाह त'आला ने रब्बानी होने की वजह और रब्बानियों की सिफ़तें इसी क़द्र बयान फरमाई कि किताब पढ़ना पढ़ाना उसके अहकाम से ख़बरदार होना। इसकी निगहदाश्त रखना और इसके साथ हुक्म करना। अब अगर इन सिफ़तों को बग़ौर देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सिफ़तें उलमा-ए-शरीअ़त के अंदर पाई जाती हैं। जब उन में ये सिफ़तें पाई जाती हैं तो वह ज़रूर रब्बानी हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रदीयल्लाहु अन्हु)मा फ़रमाते हैं: "रब्बानी फ़ुक़हा मुदर्रिसीन हैं" (अद-दुर्र अल-मंसूर, 4/250, मतबुआ मिस्र)। भी वो और उनके शागिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद और इमाम सईद इब्ने जुबैर

(रदीयल्लाहु अन्हु)म फ़रमाते हैं: “रब्बानी आलिम फ़क़ीह को कहते हैं“ (अद-दुर्र अल-मंसूर, 2/251, मतबुआ बेरूत)।

8. **मुनाफ़िक़ की एक ख़सलत** : जब अल्लाह अज़्ज़ावजल ने उलमा-ए-शरीअ़त को अपना चुना हुआ बंदा फ़रमाया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपना वारिस, अपना ख़लीफ़ा, अपना जानशीन फ़रमाते हैं तो उन्हें शैतान कहना जैसे कि अम्र (गुमराह शख़्स) ने कहा, ऐसा कहना शैतान ही का काम हो सकता है या उसकी औलाद में से किसी मुनाफ़िक़ ख़बीस का। और ऐसे लोगों को मुनाफ़िक़ में नहीं कहता बल्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं: “तीन शख़्सों के हक़ को हल्का न जानेगा मगर मुनाफ़िक़ और मुनाफ़िक़ भी कौनसा खुला मुनाफ़िक़ (वो तीन शख़्स ये हैं) एक बूढ़ा मुसलमान जिसे इस्लाम ही में बुढ़ापा आया, दूसरा आलिम-ए-दीन, तीसरा बादशाह मुसलमान आदिल“ (तबरानी)।

फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं: **“लोगों पर ज़्यादती न करेगा मगर वलद उज़-ज़िना (ज़िना का पैदा) या वो जिस में उसकी कोई रग हो“** (तबरानी फिल-कबीर)। जब आम लोगों पर ज़्यादती का ये हुक्म है तो उलमा की शान तो बहुत बुलंद ओ बाला है उन पर ज़्यादती करने वाले के लिए तो हुक्म और ज़्यादा सख़्त होगा। बल्के हदीस में लफ़्ज़ “नास“ (इंसान) है और सहीह मअनोन में इंसान उलमा ही हैं। चुनांचे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या अल-उलूम में फ़रमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के शागिर्द राशिद और हदीस ओ फ़िक़्ह ओ मआरिफ़त ओ विलायत में मुत्तफ़िक़ह इमाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक (रदीयल्लाहु अन्हु) से किसी ने पूछा “नास“ यानी आदमी कौन है? फ़रमाया: “उलमा।“ इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं: “जो आलिम न हो इमाम इब्ने मुबारक ने उसे आदमी ही शुमार न किया क्योंकि इंसान और जानवरों में इल्म ही का फ़र्क़ है। इंसान इस सबब से इंसान है जिस वजह से उसे शरफ़ हासिल है

वरना ये शरफ़ ओ बुज़ुर्गी किस वजह से है? क्या ये जिस्मानी ताक़त की वजह से ? नहीं अगर ऐसा होता तो ऊंट आदमी से ज़्यादा ताक़तवर है और न ही इंसान की बुज़ुर्गी उसके बड़े जिस्म की वजह से है कि हाथी का जिस्म उससे बड़ा है, न बहादुरी की वजह से कि शेर उससे ज़्यादा बहादुर है, न ख़ुराक की वजह से कि बैल का पेट उससे बड़ा है और वह ज़्यादा खाता है और न ही इंसान का सिर्फ जिमआ (sex) की वजह से है कि चिड़िया जो सब में ज़लील चिड़िया है इंसान से ज़्यादा इस फेल (sex) की क़ुव्वत रखती है। आदमी तो सिर्फ़ इल्म के लिए बनाया गया है और इस इल्म की वजह से इंसान का शरफ़ ओ बुज़ुर्गी है।“

9. **उलमा-ए-शरीअ़त निगहबान हैं:** मज़कूर बयानात से वाज़ेह हो गया कि उलमा-ए-शरीअ़त हरगिज़ तरीक़त के रास्ते में रुकावट नहीं बल्के वही इस का दरवाज़ा खोलने वाले हैं और वही तरीक़त के रास्ते के निगहबान हैं। अल्बत्ता वो तरीक़त जिसे शैतान के बंदे तरीक़त कहते हैं और उसे मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअ़त से जुदा क़रार देते हैं, उलमा शरीअ़त ऐसी तरीक़त के लिए ज़रूर रुकावट हैं। और उलमा ही क्या ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ावजल ने इस राह को बंद मर्दूद बातिल और धुतकारा हुआ क़रार दिया और पहले गुज़र चुका कि उलमा-ए-शरीअ़त की हाजत हर मुसलमान को हर वक़्त है और तरीक़त में क़दम रखने वाले को और ज़्यादा वरना हदीस में बेग़ैर इल्म के तरीक़त में पड़ने वाले को गधा फ़रमाया तो अगर उलमा ने गधा बनने से रोका तो क्या गुनाह किया।

10. अम्र (गुमराह शख्स) ने उलमा-ए-शरीअ़त और शरीअ़त के .खिलफ़ जो अपनी शैतानी ख़ुराफ़ात और गाली गलौच का इज़हार किया है उसे उसने हक़्क़ानी उलमा और रब्बानी औलिया की तरफ़ मंसूब किया है। ये ज़लील झूठ और लाअंती तोहमत है जो उसने औलिया पर बांधी। अब हम उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ सिर्फ़ औलिया-ए-कराम (रदीयल्लाहु अन्हु)म के मुबारक इरशादात सिर्फ़ नमूना के तौर पर पेश

करते हैं जिन से शरीअ़त-ए-मुतह्हरा की अज़मत ज़ाहिर हो और ये भी मालूम हो जाए कि तरीक़त शरीअ़त से जुदा नहीं और ये भी कि तरीक़त शरीअ़त की मोहताज है और ये भी कि शरीअ़त असल मियार और दर-ओ-मदार है। अल-ग़र्ज़ जो कुछ हम ने बयान किया उन सब का मुकम्मल सबूत और अम्र (गुमराह शख़्स) के दावों और ख़ुराफ़ात का काफ़ी रद्द हम औलिया-ए-कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्वाल से पेश करेंगे। और अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

पहला क़ौल:

हुज़ूर सैय्यदुना गौस-ए-आज़म (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "अल्लाह के सिवा किसी की तरफ़ निगाह न उठाना जो कि तरीक़त का एक बुलंद मर्तबा है ज़रूरी है कि वह उन चीज़ों के साथ हो कि तू अल्लाह की मुक़र्रर की हुदूद की पाबंदी करे और उसके तमाम अहकाम की हिफ़ाज़त करे और अगर तेरी तरफ़ से शरीअ़त की हुदूद में से किसी हद में ख़लल आया तो जान ले कि तू फित्ने में पड़ा हुआ है और बेशक शैतान तेरे साथ खेल रहा है। लिहाज़ा तू फ़ौरन शरीअ़त के हुक्म की तरफ़ लौट आ और इस से लिपट जा और अपनी नफ़सानी ख़्वाहिश को छोड़ दे क्योंकि जिस हक़ीक़त की तस्दीक़ शरीअ़त से न हो वो हक़ीक़त बातिल है" (तबक़ात अल-अवलिया, इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी, जिल्द 1, सफ़ा 131, मतबुआ मिस्र)। सआदतमंद के लिए हुज़ूर पुर नूर गौस अल-सक़लैन (रदीयल्लाहु अन्हु) का एक क़ौल ही काफ़ी है कि इस में सब कुछ जमा फरमा दिया है।

दूसरा क़ौल:

तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 130 में हुज़ूर सैय्यदुना गौस-ए-आज़म (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "जब तू अपने दिल में किसी की मोहब्बत या दुश्मनी पाए तो उसके कामों को क़ुरान ओ हदीस पर पेश कर। अगर क़ुरान ओ हदीस की मुताबिक पसंदीदा हों तो तू उस से मोहब्बत कर और

अगर इस एतिबार से न पसंदीदा हों तो उसे न पसंद कर ताकि अपनी ख़्वाहिश से न किसी को दोस्त रखे न दुश्मन| अल्लाह त'आला फरमाता है: (तर्जुमा) : **"ख़्वाहिश की पैरवी न कर के तुझे बहका देगी ख़ुदा की राह से'"** सूरह साद (38:26) |

तीसरा क़ौल:

हुज़ूर पुर नूर सैय्यदुना गौस अल-अग़वास (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "विलायत नुबूवत का अक्स है और नुबूवत उलूहियत का अक्स है और वली की करामत ये है कि उसका फ़िल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल के क़ानून पर ठीक उतरे" (बहजत अल-असरार, सफ़ा 39, मतबुआ मिस्र)|

चौथा क़ौल:

हुज़ूर सैय्यदाना मुहय्युद्दीन, महबूब-ए-सुब्हानी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "शरीअ़त वो हुक्म है जिस के क़हर की तलवार अपने मुख़ालिफ़ ओ मुक़ाबिल को मिटा देती है और इस्लाम की मज़बूत रस्सियां इस की हिमायत की मज़बूत डोरी पकड़े हुए हैं| दोनों जहान के कामों का दार-ओ-मदार सिर्फ़ शरीअ़त पर है और शरीअ़त की डोरियों से ही दोनों जहान की मंज़िलें वाबस्ता हैं" (बहजत अल-असरार, सफ़ा 40, मतबुआ मिस्र)|

पांचवा क़ौल:

हुज़ूर सैय्यदाना शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "पाकीज़ा शरीअ़त-ए-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन-ए-इस्लाम का फलदार दरख़्त है| शरीअ़त वो सूरज है जिस की चमक से तमाम जहान की अंधेरियां जगमगा उठती हैं| शरीअ़त की पैरवी दोनों जहान की सआदत बख़्शती है| ख़बरदार इस के दायरे से

बाहर न जाना। ख़बरदार अहल-ए-शरीअ़त की जमाअत से बाहर न जाना" (बहजत अल-असरार, सफ़ा 49, मतबुआ मिस्र)।

छठा क़ौल:

हुज़ूर सैय्यदाना गौस-ए-पाक (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "अल्लाह अज़्ज़ावजल की तरफ़ सब से ज़्यादा करीब रास्ता बंदगी के क़ानून को लाज़िम पकड़ना और शरीअ़त की गिराह को थामे रखना है" (बहजत अल-असरार, सफ़ा 50, मतबुआ मिस्र)।

सातवा क़ौल:

हुज़ूर सैय्यदाना गौस-ए-पाक (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "फ़िक़्ह सीख उस के बाद ख़लवत नशीन हो। जो बेग़ैर इल्म के ख़ुदा की इबादत करता है वो जितना संवारेगा उस से ज़्यादा बिगाड़ेगा। अपने साथ शरीअ़त की शमा ले लो" (बहजत अल-असरार, सफ़ा 53, मतबुआ मिस्र)।

आठवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदाना जुनैद बग़दादी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं: "मेरे पीर हज़रत सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु) ने मुझे दुआ दी: 'अल्लाह तुम्हें हदीस दान बना कर फिर सूफ़ी बनाए और हदीस दान होने से पहले तुम्हें सूफ़ी न करे'" (इह्या अल-उलूम, जिल्द 1, सफ़ा 13)।

नौवां क़ौल:

हुज्जत अल-इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु) की इस दुआ की शरह में फ़रमाते हैं: "हज़रत सिरी सक़ती ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया कि जिस ने पहले हदीस ओ इल्म हासिल कर के तसव्वुफ़ में क़दम रखा वो फलाह को पहुंचा और जिस ने इल्म हासिल करने से पहले सूफ़ी बनाना चाहा उस ने

अपने आप को हलाकत में डाल दिया। वल्लाहिल अ़ज़ीम“ (इह्या अल-उलूम, सफ़ा 13, जिल्द 1)।

दसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदाना जुनैद बग़दादी (रदीयल्लाहु अन्हु) से अर्ज़ की गई कि कुछ लोग गुमान करते हैं कि शरीअ़त के अहकाम तो अल्लाह त'आला तक पहुंचने का ज़रिया थे और हम अल्लाह त'आला तक पहुंच गए यानी अब हमें शरीअ़त की क्या हाजत? फ़रमाया: “वो सच कहते हैं वो पहुंचने वाले ज़रूर हैं मगर कहां तक? जहन्नम तक। ऐसा अक़ीदा रखने वालों से तो चोर और ज़ानी बेहतर हैं। मैं अगर हज़ार साल तक भी ज़िंदा रहूं तो फ़राइज़ ओ वाजिबात तो बड़ी चीज़ हैं। मैं ने जो नवाफिल ओ मुस्तहब्बात मुक़र्रर कर लिए हैं उन में से भी कुछ कम न करूंगा।“ (अल-यवाक़ित वल-जवाहिर, इमाम शाअरानी, जिल्द 1, सफ़ा 139)।

ग्यारहवां क़ौल:

हज़रत इमाम कुशैरी (रदीयल्लाहु अन्हु) अपनी किताब ’रिसाला कुशैरिया’ में हज़रत जुनैद बग़दादी (रदीयल्लाहु अन्हु) से नक़्ल फ़रमाते हैं:

“जिस ने न क़ुरान याद किया, न हदीस सिखी, यानी जो इल्म-ए-शरीअ़त से आगाह नहीं, तरीक़त में उस की इक़्तिदा न करें और उसे अपना पीर न बनाएं। क्योंकि हमारा ये इल्म तरीक़त बिल्कुल किताब ओ सुन्नत का पाबंद है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 24, मतबुआ मिस्र)।

भी फ़रमाया:

“ख़ल्क़ पर तमाम रास्ते बंद हैं मगर वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान-ए-क़दम की पैरवी करे|“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 24)|

शेख़ सादी अलैहिर्रहमा के शेर का तर्जुमा है:

“जिस शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलफ़ रास्ता इख़्तियार किया, वो हरगिज़ मंज़िल तक नहीं पहुंच सकता|“

बारहवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदाना बयाज़ीद बुस्तामी (रदीयल्लाहु अन्हु) ने एक दूसरे बुज़ुर्ग से फ़रमाया:

“चलो इस शख़्स को देखें जिस ने अपने आप को विलायत के नाम से मशहूर किया है|“ वो शख़्स ज़ुह्द ओ तक़्वा में मशहूर था और लोग बहुत ज़ियादा उस के पास आया करते थे| जब हज़रत बयाज़ीद (रदीयल्लाहु अन्हु) वहां तशरीफ़ ले गए, इत्तेफ़ाक़न उस शख़्स ने क़िबला की तरफ़ थूका| हज़रत बयाज़ीद (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़ौरन वापस पलट आए और उस शख़्स से सलाम भी नहीं किया और फ़रमाया:

“शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में से एक अदब पर तो अमीन (सच्चा) नहीं, जिस चीज़ का (यानी विलायत का) दावा करता है उस पर क्या अमीन (सच्चा) होगा?“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 17)|

और दूसिरी रिवायत में है कि फ़रमाया:

“ये शख़्स शरीअ़त के एक अदब पर तो अमीन (सच्चा) नहीं, असरार-ए-इलाही पर कैसे अमीन (सच्चा) होगा?“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 153, मतबुआ मिस्र)|

तेरहवां क़ौल:

हज़रत बुस्तामी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

“अगर तुम किसी शख़्स को देखो कि उसे ऐसी करामत दी गई है कि वो हवा पर चार-ज़ानो बैठे, तो उस से फरेब न खाना जब तक ये न देखो कि फ़र्ज़, वाजिब, मकरूह, हराम में उसका अमल कैसा है और शरीअ़त की हुदूद ओ आदाब की कितनी हिफ़ाज़त करता है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 18, मतबुआ मिस्र)।

चौदहवां क़ौल:

हज़रत अबू सईद फ़राज़ (रदीयल्लाहु अन्हु) जो हज़रत जुन्नून मिसिरी और सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु)म के साथी और हज़रत जुनैद बग़दादी अलैहिर्रहमा के हम ज़माना बुज़ुर्गों में से हैं, फ़रमाते हैं:

“जिस आदमी का ज़ाहिर हाल उस के बातिन के ख़िलफ़ हो, वो बातिन नहीं बल्के बातिल है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 28, मतबुआ मिस्र)।

अल्लामा सैय्यद अब्दुल ग़नी नाबुलसी (रदीयल्लाहु अन्हु) इस क़ौल की शरह में फ़रमाते हैं:

“इस लिए कि जब इस आदमी ने ज़ाहिर की मुख़ालिफ़त की तो उसका बातिन महज़ शैतानी वसवसा और नफ़्स की बनावट है।“ (हदीक़ा नदिया, जिल्द 1, मतबुआ मिस्र)।

पंद्रहवां क़ौल:

हज़रत हारिस मुहासिबी (रदीयल्लाहु अन्हु) जो बड़े बड़े आइम्मा ओ औलिया कराम (रदीयल्लाहु अन्हु)म और हज़रत सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु) के हम ज़माना बुज़ुर्गों में से हैं, फ़रमाते हैं:

“जो शख़्स अपने बातिन को मुराक़बा और इख़्लास से सहीह कर लेगा, अल्लाह त'आला उस के ज़ाहिर को मुजाहिदा और सुन्नत की पैरवी से आरास्ता कर देगा।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 15, मतबुआ मिस्र)।

इस से मालूम हुआ कि जिस आदमी का ज़ाहिर शरीअ़त के ज़ेवर से आरास्ता नहीं, वो बातिन में भी अल्लाह त'आला के साथ इख़्लास नहीं रखता।

सोलहवां क़ौल:

हज़रत उस्मान हिर्री (रदीयल्लाहु अन्हु) ने इंतक़ाल के वक़्त अपने साहिबज़ादे अबू बक्र अलैहिर्रहमा से फ़रमाया:

“ऐ मेरे बेटे! ज़ाहिर में सुन्नत की ख़िलफ़ वर्ज़ी इस बात की अलामत है कि बातिन में रिया कारी है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 15, मतबुआ मिस्र)।

सत्रहवां क़ौल:

हज़रत सईद इब्ने इस्माईल हिर्री रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं:

“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी सोहबत का तरीक़ा ये है कि सुन्नत की पैरवी करे और इल्म-ए-ज़ाहिर को लाज़िम पकड़ ले।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 25, मतबुआ मिस्र)।

अठारहवां क़ौल:

हज़रत अबुल हुसैन अहमद इब्ने अल-हवारी (रदीयल्लाहु अन्हु) जिन्हें हज़रत जुनैद बग़दादी अलैहिर्रहमा शाम का फूल कहते थे, फ़रमाते हैं:

“जो किसी क़िस्म का कोई अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बग़ैर करे, वो बातिल है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 21, मतबुआ मिस्र)।

उन्नीसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदी अबू हफ़्स उमर हद्दाद (रदीयल्लाहु अन्हु) जो बड़े बड़े आइम्मा, आरिफ़ीन और हज़रत सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु) के हम ज़माना बुज़ुर्गों में से हैं, फ़रमाते हैं:

“जो हर वक़्त अपने तमाम कामों और तमाम बातिनी अहवाल को क़ुरान ओ हदीस के तराज़ू में न तोले और अपने दिल पर वारिद होने वाली कैफ़ियत पर एतमाद (भरोसा) कर ले, उसे मर्दान-ए-हक़ के दफ़्तर में शुमार न करो।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 21)।

बीसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदी अबुल हुसैन अहमद नूरी (रदीयल्लाहु अन्हु) जो हज़रत सिरी सक़ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और हज़रत जुनैद बग़दादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ज़माना बुज़ुर्गों में से हैं, फ़रमाते हैं:

“तू जिस शख़्स को देखे कि वो अल्लाह अज़्ज़ावजल के साथ अपने ऐसे हाल का दावा करता है जो उसे शरीअ़त की हद से बाहर कर दे, उस के करीब भी न जा।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 25, मतबुआ मिस्र)।

इक्कीसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदी अबुल अब्बास अहमद इब्ने मुहम्मद अल-आदमी फ़रमाते हैं:

“जो अपने ऊपर शरीअ़त के आदाब लाज़िम कर ले, अल्लाह त'आला उस के दिल को मआरिफ़त के नूर से रोशन कर देगा और इस मक़ाम से बढ़ कर कोई मक़ाम मुआज़्ज़म नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, अफ़आल, आदात सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 30, मतबुआ मिस्र)।

बाईसवां क़ौलः

सिलसिला चिश्तिया बिहिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत मुमशाद दीनोरी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैंः

“मुरीद का अदब ये है कि शरीअ़त के आदाब की अपने नफ़्स पर हिफ़ाज़त करे, यानी पाबंदी करे।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 32, मतबुआ मिस्र)।

तेईसवां क़ौलः

हज़रत सैय्यदाना सिरी सक़ती (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैंः

“तसव्वुफ़ तीन वस्फ़ों का नाम हैः

1. ये कि आदमी की मआरिफ़त का नूर उस के वरा (आला तक़्वा) को बुझा न दे।

2. अपने दिल में कोई ऐसा ख़्याल न ले जो ज़ाहिर क़ुरान या ज़ाहिर हदीस के ख़िलफ़ हो।

3. करामत की वजह से वो पोशीदा चीज़ों को न खोले जिन का खोलना अल्लाह त'आला ने उस पर हराम किया है।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 13, मतबुआ मिस्र)।

चौबीसवां क़ौलः

हज़रत सैय्यदाना जुनैद बग़दादी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू सुलैमान दारानी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते थे:

“बहुत दफ़ा तसव्वुफ़ का कोई नुक़्ता मेरे दिल में मुद्दतों आता रहता लेकिन मैं तब तक उसे क़ुबूल न करता जब तक क़ुरान ओ सुन्नत के दो आदिल गवाह इस नुक़्ते की तस्दीक़ न फरमा देते।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 19, मतबुआ मिस्र)।

दूसिरी रिवायत में फ़रमाया:

“बहुत दफ़ा हक़ीक़त का कोई नुक़्ता चालीस दिन तक मेरे दिल पर खटकता रहता, मैं तब तक उसे अपने दिल में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं देता जब तक क़ुरान ओ सुन्नत के दो गवाह इस के साथ न हों।“ (नफ़ाहात अल-उन्स, सफ़ा 27)।

पच्चीसवां क़ौल:

इमाम तरीक़त हज़रत अबू अली रुदबारी जो हज़रत जुनैद बग़दादी के जलील अल-क़द्र ख़ुलफ़ा में से हैं, इमाम अबुल क़ासिम कुशैरी (रदीयल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि बुज़ुर्गों में उन के बराबर तरीक़त का इल्म किसी को नहीं था। इन बुज़ुर्गों से सवाल हुआ कि एक शख़्स मज़ामीर (बाजे) सुनता है और कहता है कि ये मेरे लिए हलाल है क्योंकि मैं ऐसे दर्जे तक पहुंच गया हूं कि अहवाल के इख़्तिलाफ़ का मुझ पर कुछ असर नहीं होता। आप ने फ़रमाया:

“हां पहुंचा तो ज़रूर है मगर जहन्नम तक।“ (रिसाला कुशैरिया, सफ़ा 33, मतबुआ मिस्र)।

छब्बीसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदाना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने ख़फ़ीफ़ (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"तसव्वुफ़ इस का नाम है कि दिल साफ़ किया जाए और शरीअ़त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो।" (तबक़ात अल-कुबरा, इमाम शाअरानी, सफ़ा 18)।

सत्ताईसवां क़ौल:

इमाम अबू बक्र मुहम्मद इब्ने इब्राहीम बुख़ारी ने अपनी किताब 'अत-तआर्रुफ़ लि मज़्हब अत-तसव्वुफ़' में इस की शान में औलिया कराम ने फ़रमाया:

"अगर ये किताब न होती तो तसव्वुफ़ न पहचाना जाता।" इस किताब में हज़रत जुनैद बग़दादी अलैहिर्रहमा से तसव्वुफ़ की तारीफ़ नक़्ल फरमाई कि तसव्वुफ़ इन औसाफ़ का नाम है। उन को ख़त्म कर के फ़रमाया कि शरीअ़त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। (अत-तआर्रुफ़, बाब अव्वल)।

अठाईसवां क़ौल:

हज़रत अबुल क़ासिम नसराबादी, जो सैय्यदाना अबू बक्र शिबली और सैय्यदाना अबू अली रुदबारी के जलील अल-क़द्र अस्हाब में से हैं, फ़रमाते हैं:

"तसव्वुफ़ की बुनियाद ये है कि किताब ओ सुन्नत को लाज़िम पकड़े रहें।" (तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 122)।

उनतीसवां क़ौल:

हज़रत जुनैद बग़दादी अलैहिर्रहमा के मुरीद ओ ख़लीफ़ा हज़रत जाफ़र इब्ने मुहम्मद ख़व्वास अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं:

"अल्लाह की मआरिफ़त और उस के अहकाम के इल्म से बेहतर, मैं कोई चीज़ नहीं जानता। इल्म के बग़ैर आमाल पाक नहीं होते। इल्म के

बग़ैर सब अमल बर्बाद हैं। इल्म ही से अल्लाह की मआरिफ़त ओ इताअत हासिल होती है। इल्म को वही न पसंद करेगा जो कम बख़्त है।" (तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 118)।

तीसवां क़ौल:

जलील अल-क़द्र आलिम हज़रत सैय्यदी मुहम्मद वफ़ी शाज़ली के पीर ओ मुरशिद हज़रत सैय्यदी दाऊद कबीर (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"उलमा-ए-ज़ाहिर के दिल सफ़ाई-ए-क़ल्ब के जहान और गंदगी के दुनिया के दरमियान वास्ता हैं। मुराद ये है कि औलिया ओ अवाम के दरमियान वास्ता हैं और आम मख़्लूक़ पर रहमत हैं। क्योंकि ग़ैब की बातों और हक़ीक़त के उलूम तक अवाम की रसाई नहीं और यही उलमा वो फ़ुयूज़ ओ बरकात अवाम तक पहुंचाते हैं।" (तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 189)।

ये क़ौल सराहतन इस बात की दलील है कि उलमा अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस होते हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम इसी लिए भेजे जाते हैं कि ख़ालिक़ और मख़्लूक़ के दरमियान वास्ता हों। इस मख़्लूक़ के लिए जो बरगाह-ए-ग़ैब ओ हक़ीक़त तक नहीं पहुंच सकती।

इकतीसवां क़ौल:

सिलसिला सुहरावर्दिया के पेशवा हज़रत शहाबुद्दीन सुहरावर्दी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"फित्ने के मारे हुए कुछ लोगों ने सूफ़ियों का लिबास पहन लिया है ता कि सूफ़ी कहलाएं, हालांकि उन को सूफ़ियों से कुछ ताल्लुक़ नहीं, बल्के वो धोके और ग़लती में हैं। वो ये कहते हैं कि उन के दिल ख़ालिस ख़ुदा की तरफ़ हो गए हैं और यही मुराद को पहुंचना है और शरीअ़त के

तरीक़ों की पाबंदी करना अवाम का काम है। उन का ये क़ौल ख़ालिस बे-दीनी और ज़िंदक़ी है और अल्लाह की बरगाह से दूर किया जाना है, क्योंकि जिस हक़ीक़त को शरीअ़त रद्द कर दे, वो हक़ीक़त नहीं बे-दीनी है। फिर उन्हों ने हज़रत जुनैद (रदीयल्लाहु अन्हु) का क़ौल नक़्ल किया कि चोरी और ज़िना करने वाले ऐसे लोगों से बेहतर हैं।" (अवारिफ़ अल-मआरिफ़, सफ़ा 42, जिल्द 1, मतबुआ मिस्र)।

बत्तीसवां क़ौलः

हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी (रदीयल्लाहु अन्हु) ने अपनी किताब 'आलम अल-हुदा वा अक़ीदत अरबाब अत-तक़्वा' में फ़रमायाः

"जिस शख़्स के लिए और जिस के हाथ पर करामत ज़ाहिर हों, वो अहकाम-ए-शरीअ़त का पूरा पाबंद न हो तो ऐसा शख़्स बे-दीन है और जो ख़िलफ़-ए-आदत चीज़ें उस के हाथ पर ज़ाहिर हों, वो करामत नहीं बल्के धोका और इस्तिदराज है।" (नफ़ाहात अल-उन्स, सफ़ा 19)।

तैंतीसवां क़ौलः

हुज्जत अल-इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैंः

"एक गिरोह मआरिफ़त और बरगाह-ए-इलाही तक पहुंचने का दावा करता है, हालांकि वो सिर्फ़ मआरिफ़त का नाम ही जानते हैं और उन का गुमान ये है कि उन का फ़िल सब अगले पिछले के इल्म से आला है। लिहाज़ा वो सब फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन को हक़ारत की निगाह से देखते हैं और तमाम मुसलमानों और उलमा को हक़ीर जानते हैं और अपने बारे में अल्लाह तक पहुंचने का दावा करते हैं। हालांकि वो लोग अल्लाह के नज़दीक फ़ासिक़ों और मुनाफ़िक़ों में से हैं।" (इह्या अल-उलूम, सफ़ा 220, जिल्द 3)।

चौंतीसवां क़ौल:

हज़रत शेख़ अकबर मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

“इल्म-ए-ज़ाहिर में जो शरीअ़त का तराज़ू है उसे हाथ से न फेंकना, बल्के जो शरीअ़त का हुक्म है फ़ौरन उस पर अमल कर। और अगर आम उलमा के ख़िलफ़ तेरी समझ में ऐसी बात आए जो शरीअ़त के ज़ाहिर हुक्म पर अमल करने से तुझे रोके तो उस पर एतमाद न कर, क्योंकि वो मआरिफ़त नहीं बल्के इस की शक्ल में एक धोका है जिस की तुझे ख़बर नहीं।“ (अल-यवाक़ित वल-जवाहिर, सफ़ा 22)।

पैंतीसवां क़ौल:

हज़रत सैय्यदी मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी (रदीयल्लाहु अन्हु) ’फ़ुतूहात’ में फ़रमाते हैं:

“जान लो कि शरीअ़त का तराज़ू वो है जो अल्लाह अज़्ज़ावजल ने ज़मीन में मुक़र्रर फ़रमाया है, वो वही है जो उलमा-ए-शरीअ़त के हाथ में है। तो जब कोई वली शरीअ़त के इस पैमाने से बाहर निकले, हालांकि उस की अक़्ल सलामत हो तो ऐसे शख़्स का रद्द करना वाजिब है।“ (अल-यवाक़ित, सफ़ा 24)।

छत्तीसवां क़ौल:

हज़रत बहर अल-हक़ाइक़ मम्दूह (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

“जान लो कि औलिया ओ पीर हज़रत के पैमाने भी शरीअ़त से ख़ता नहीं करते और वो शरीअ़त की मुख़ालिफ़त से महफ़ूज़ हैं।“ (अल-यवाक़ित, सफ़ा 25)।

सैंतीसवां क़ौल:

शेख़ अकबर (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

“यक़ीन जान कि शरीअ़त का चश्मा ही हक़ीक़त का चश्मा है, क्योंकि शरीअ़त के दो दायरे हैं। एक ऊपर, एक नीचे। ऊपर का दायरा कश्फ़ वालों के लिए है और नीचे का दायरा फ़िक्र वालों का है। अहल-ए-फ़िक्र जब अहल-ए-कश्फ़ के अक़्वाल तलाश करते हैं और उन्हें अपनी फ़िक्र के दायरे में नहीं पाते तो कह देते हैं कि ये क़ौल शरीअ़त से बाहर है। इस पर अहल-ए-फ़िक्र अहल-ए-कश्फ़ पर ऐतराज़ करते हैं मगर अहल-ए-कश्फ़ अहल-ए-फ़िक्र पर ऐतराज़ नहीं करते और जो कश्फ़ ओ फ़िक्र दोनों रखता है, वो अपने वक़्त का हाकिम है। लिहाज़ा जिस तरह उलूम-ए-फ़िक्र शरीअ़त का हिस्सा हैं, इसी तरह अहल-ए-कश्फ़ के उलूम भी शरीअ़त का हिस्सा हैं। तो दोनों एक दूसरे को लाज़िम हैं और आजकल क्योंकि दोनों पहलुओं का जामे शख़्स मौजूद नहीं, लिहाज़ा महज़ ज़ाहिर देखने वालों ने शरीअ़त ओ हक़ीक़त को जुदा समझ रखा है।“ (अल-यवाक़ित वल-जवाहिर, सफ़ा 35)।

सुब्हान अल्लाह! इस इबारत से पता चला कि अहल-ए-ज़ाहिर यानी उलमा अगर उलूम-ए-हक़ीक़त को न समझें तो वो मआज़ूर हैं कि वो शरीअ़त के नीचे वाले दायरे में हैं। इस से ये भी मालूम हुआ कि जो शख़्स विलायत का दावा करे और ज़ाहिरी इल्म का इंकार करे, वो झूठा और फरेबी है, क्योंकि अगर वो हक़ीक़तन ऊपर वाले दायरे तक पहुंचा होता तो नीचे वाले दायरे का इंकार न करता और इस से जाहिल न होता। इस की मिसाल यूं समझें कि ज़ाहिर इल्म वाले जड़ें हैं और बातिनी इल्म वाले शाख़ें। अगर शाख़ें काट दी जाएं तो अस्ल दरख़्त बाक़ी रहता है लेकिन अगर कोई बुलंद शाख़ पर पहुंच कर जड़ काट दे तो इस की हड्डी पसली की ख़ैर नहीं।

इस इबारत से मालूम हुआ कि अहल-ए-ज़ाहिर अगर शरीअ़त ओ हक़ीक़त को जुदा समझें तो उन की ग़लती है मगर इस वजह से वो अपने

इल्म में झूठे न होंगे। लेकिन अगर तसव्वुफ़ का दावा करने वाला इल्म-ए-ज़ाहिर का इंकार करे और शरीअ़त ओ तरीक़त को जुदा समझे तो वो क़तअन झूठा और मक्कार है।

अड़तीसवां क़ौल:

हज़रत शेख़ मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"उलूम-ए-इलाहिया में वली का कश्फ़ इस इल्म से आगे नहीं हो सकता जो उस के नबी की किताब और वही अता फरमा रही है। इस मक़ाम में हज़रत जुनैद ने फ़रमाया: 'हमारे ये इल्म किताब ओ सुन्नत की क़ैद में हैं।' एक और आरिफ़ ने फ़रमाया: 'जिस कश्फ़ की गवाही क़ुरान ओ हदीस न दें, वो कुछ भी नहीं।' तो हरगिज़ किसी वली के लिए क़ुरान मजीद के फ़ह्म के बग़ैर कुछ कश्फ़ नहीं हो सकता। अल्लाह अज़्ज़ावजल फरमाता है: 'हम ने इस किताब में कुछ उठा न रखा' (अल-अनआम: 38) और मूसा अलैहिस्सलाम की तख़्तियों के मुताल्लिक़ फरमाता है: 'हम ने इस के लिए तख़्तियों में हर चीज़ से कुछ लिख दिया' (अल-आराफ़: 145)। तो सौ बातों की एक बात ये है कि वली का इल्म किताब ओ सुन्नत से बाहर नहीं जाएगा। और अगर कुछ बाहर हो जाए तो वो इल्म नहीं होगा और न ही कश्फ़ होगा, बल्के अगर तुम तहक़ीक़ करो तो साबित हो जाएगा कि वो जहालत थी।" (फ़ुतूहात मक्किया, 3/72)।

उनतालीसवां क़ौल:

हज़रत शेख़ अकबर (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"अल्लाह तेरी मदद करे, यक़ीन जान, करामत अल्लाह त'आला के नाम मुबारक के तुफ़ैल से आती है। लिहाज़ा इसे सिर्फ़ नेक लोग ही हासिल करते हैं। और इस करामत की दो क़िस्म हैं:

1. हिस्सिया यानी हवास (इंद्रियों) से मालूम होने वाली।

2. मअनविया महज़ दिल से मालूम होने वाली।

इन में से अवाम सिर्फ़ पहली क़िस्म की करामत को जानते हैं, क्योंकि वो इसे अपनी हवास, आंख, कान वग़ैरा से जानते हैं। इस की मिसाल ये है कि जैसे किसी के दिल की बात बता देना, गुज़श्ता, मौजूदा, आने वाली की ग़ैब की बातें बता देना, पानी पर चलना, हवा पर उड़ना, बहुत लंबा फ़ासिला चंद क़दम में तय कर लेना, आंखों से छिप जाना कि आंखों के सामने मौजूद हों मगर नज़र न आएं।

और दूसिरी क़िस्म की वो करामत हैं जिन्हें करामत मअनविया कहते हैं, इसे सिर्फ़ ख़ास लोग ही पहचानते हैं, अवाम नहीं। और वो ये हैं कि अपने नफ़्स पर शरीअ़त के आदाब की पाबंदी लगाए रखें, उम्दा फ़सलतें हासिल करें और उसे बुरी आदतों से बचने की तौफ़ीक़ दी जाए, तमाम वाजिबात को ठीक वक़्त पर अदा करने की पाबंदी करता रहे। इन करामतों में धोके और फरेब का दाख़िल नहीं होता और वो करामतें जिन को अवाम देखती हैं, जिन्हें अवाम पहचानती हैं, उन में धोके और फरेब का दाख़िल हो सकता है। फिर ये भी ज़रूरी है कि वो ज़ाहिर करामतें जिन्हें अवाम देखती हैं, जिस आदमी से ज़ाहिर हों, उसे शरीअ़त पर इस्तिक़ामत के नतीजे में हासिल हों या वो करामतें ख़ुद इस्तिक़ामत पैदा कर दें, वरना वो करामत न होंगी।

करामत मअनविया में मक्र ओ फरेब का दाख़िल नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म उन के साथ है और इल्म की क़ुव्वत और इस का शरफ़ ख़ुद ही तुझे बताएगा कि उन में धोके का दाख़िल नहीं, इस लिए कि शरीअ़त की हुदूद किसी के लिए धोके का फंदा क़ायम नहीं करती। इन्ही वजूहात की बिना पर शरीअ़त सआदत हासिल करने का साफ़ और रोशन रास्ता है। इल्म ही मक़सूद है और इसी से नफ़ा पहुंचता है, अगर चे इस पर अमल न भी हो। क्योंकि अल्लाह त'आला ने मुतलक़न इरशाद फ़रमाया

कि आलिम ओ बे इल्म बराबर नहीं। तो उलमा ही धोके और फरेब से अमान में हैं।“ (फ़ुतूहात मक्किया, सफ़ा 487, जिल्द 2)।

चालीसवां क़ौल:

तमाम कुत्बों में जो सब से आला और मुमताज़ क़ुत्ब हैं, वो चार हैं:

1. हुज़ूर गौस-ए-पाक (रदीयल्लाहु अन्हु)।

2. हज़रत सैय्यद अहमद रिफ़ाई।

3. सैय्यद अहमद कबीर बदावी।

4. सैय्यदी हज़रत इब्राहीम दसूक़ी।

ये चौथे जलील अल-क़द्र बुज़ुर्ग इरशाद फ़रमाते हैं:

“शरीअ़त दरख़्त है और हक़ीक़त फल है।“ (तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 168)।

दरख़्त और फल की निस्बत भी यही बता रही है कि दरख़्त क़ायम है तो जड़ मौजूद है मगर जो जड़ ही काट बैठे, वो नीरा महरूम ओ मर्दूद है। फिर इस मिसाल की भी वही हालत है जो हम दरिया ओ सरचश्मा के बारे में बयान कर आए हैं कि दरख़्त काट जाए तो आइंदा फल की उम्मीद न रही मगर जो फल आ चुके हैं वो बाक़ी हैं। लेकिन यहां शरीअ़त ओ तरीक़त में जैसे ही दरख़्त काटेगा, आए हुए फल भी फ़ना हो जाते हैं और फ़ना होते ही बस नहीं बल्के इंसान का दुश्मन इब्लीस लइन ग़लिज़ और गोबर के फल जादू से बना कर उस के मुंह में देता है और ये जहालत से उन्हें हक़ीक़त का फल समझ कर ख़ुशी ख़ुशी निकालता है। जब आंख खुलेगी तो उस वक़्त पता चल जाएगा कि मुंह में क्या भरा था। इस बात से अल्लाह की पनाह है।

इकतालीसवां क़ौल:

इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी (रदीयल्लाहु अन्हु) के पीर ओ मुरशिद हज़रत अली ख़व्वास (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"इल्म-ए-कश्फ़ ये है कि अश्या जिस तरह वाक़ेई और हक़ीक़त में हैं, उसी तरह उन के मुताल्लिक़ ख़बर दे। और जब तू इस कश्फ़ की तहक़ीक़ करेगा तो हरगिज़ शरीअ़त के ख़िलाफ़ न पाएगा, बल्के वो ऐन शरीअ़त ही है।" (मीज़ान अल-शरीअह अल-कुबरा, सफ़ा 49)।

बयालीसवां क़ौल:

इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी (रदीयल्लाहु अन्हु) के पीर ओ मुरशिद हज़रत अली ख़व्वास (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

"उलमा-ए-ज़ाहिर हों या उलमा-ए-बातिन, सब के चिराग़ शरीअ़त ही के नूर से रोशन हैं। लिहाज़ा आइम्मा मुज्तहिदीन और उन के मुक़ल्लिदीन का कोई क़ौल ऐसा नहीं कि हक़ीक़त वालों के अक़्वाल उन की ताईद न करते हों। हमारे नज़दीक इस में कोई शक नहीं।

फिर उन्हों ने फ़रमाया: 'तमाम उलमा-ए-उम्मत के दिलों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब-ए-अक़्दस से मदद पहुंचती है। तो हर आलिम का चिराग़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर-ए-बातिन के शमा दान से रोशन है।'" (मीज़ान अल-शरीअह अल-कुबरा, सफ़ा 49)।

तैंतालीसवां क़ौल:

फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ही फ़रमाते हैं:

"सहीह और सच्चा इल्म-ए-कश्फ़ कभी भी शरीअ़त-ए-मुतह्हरा के ख़िलाफ़ नहीं आता।" (किताब अल-जवाहिर वल-दुर्र, इमाम शाअरानी, सफ़ा 255, मतबुआ मिस्र)।

चौवालीसवां क़ौल:

फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ही इरशाद फ़रमाते हैं:

“हर हक़ीक़त शरीअ़त है और हर शरीअ़त हक़ीक़त है, यानी उन में से कोई एक दूसरे के ख़िलफ़ कभी नहीं हो सकता।“ (मीज़ान अल-शरीअह, सफ़ा 50, मतबुआ मिस्र)।

पैंतालीसवां क़ौल:

जलील अल-क़द्र इमाम हज़रत अब्दुल वह्हाब शाअरानी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

“हुज्जत अल-इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने तसिरीह की है कि अल्लाह त'आला ने शैतान को क़ुदरत दी है कि कश्फ़ वाला आदमी आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह, क़लम जहां से उलूम हासिल करता है, वहां की तस्वीरें (Duplicate) बना कर शैतान आदमी के सामने कर दे और हक़ीक़त में वो अर्श, कुर्सी, लौह, क़लम न हों बल्के शैतान का धोका हो और शैतान इस धोके से अपना शैतानी इल्म उस के दिल में डाल दे और ये कश्फ़ वाला इसे अल्लाह की तरफ़ से समझें और इस पर अमल कर के ख़ुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करे। इसी लिए औलिया-ए-कराम ने कश्फ़ वाले पर वाजिब क़रार दिया है कि जो इल्म उसे कश्फ़ के ज़रिए से हासिल हो, इस पर अमल करने से पहले इसे किताब ओ सुन्नत पर पेश करे। अगर उन के मुवाफ़िक़ हो तो अमल करे, वरना इस पर अमल करना हराम है।“ (मीज़ान अल-शरीअह, सफ़ा 13, मतबुआ मिस्र)।

ऐ नबीना! तुम ने शरीअ़त की तरफ़ मोहताजी देखी, शरीअ़त का दामन न थामा तो शैतान कच्चे धागे की लगाम दे कर तुम्हें घुमाए फिरेगा। इस लिए हदीस में बेग़ैर फ़िक़्ह पढ़े इबादत करने वाले को चक्की का गधा क़रार दिया है।

छियालीसवां क़ौल:

फिर इमाम शाअरानी फ़रमाते हैं:

“विलायत की इंतिहा कभी नुबूवत की इब्तिदा तक नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई वली इस चश्मे तक बढ़ जाए जिस से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम फ़ैज़ लेते हैं, तो वली जल जाए। औलिया कराम की इंतिहा यही है कि शरीअ़त-ए-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक़ इबादत बजाते रहें, ख़्वाह कश्फ़ हासिल हो या नहीं। और जब कभी कोई शरीअ़त से निकलेगा हलाक हो जाएगा और उन की मदद कट जाएगी। और उन्हें कभी मुमकिन नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ावजल से बिज़्ज़त बेग़ैर शरीअ़त के वसीले के मिलें। हम ऊपर बयान कर आए हैं कि तमाम अंबिया ओ औलिया हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद लेते हैं।“ (अल-यवाक़ित वल-जवाहिर, सफ़ा 220, मतबुआ मिस्र)।

सैंतालीसवां क़ौल:

फिर इमाम शाअरानी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं:

“तसव्वुफ़ क्या है? बस अहकाम-ए-शरीअ़त पर बंदे के अमल का ख़ुलासा है।“

अड़तालीसवां क़ौल:

फिर फ़रमाया:

“इल्म-ए-तसव्वुफ़ शरीअ़त के चश्मे से निकली हुई झील है।“

उनचासवां क़ौल:

फिर फ़रमाया:

"जो नज़र ग़ौर करे, वो जान लेगी कि औलिया के उलूम में से कोई चीज़ शरीअ़त से बाहर नहीं। और उन के उलूम शरीअ़त से बाहर कैसे हो सकते हैं, हालांकि हर हर लम्हा शरीअ़त ही उन के लिए अल्लाह त'आला तक पहुंचने का ज़रिया है।"

पचासवां क़ौल:

फिर फ़रमाया:

"तमाम औलिया अलैहिर्रहमा का इस बात पर इज्मा ओ इत्तेफ़ाक़ है कि तरीक़त में सदर बनने के लाइक़ नहीं मगर वो जो शरीअ़त में ज़बरदस्त महारत रखता हो। और शरीअ़त के तरीक़ों और इस्तेलाहात, मसलन ख़ास, आम, नासिख़ ओ मंसूख़ को जानता हो। अरबी ज़बान पर कामिल उबूर हासिल हो। यहां तक कि अरबी ज़बान के मजाज़ ओ इस्तिआरह वग़ैरा जानता हो। तो हर सूफ़ी फ़क़ीह होता है, लेकिन हर फ़क़ीह सूफ़ी नहीं।" (मज़कूरह चारों अक़्वाल अज़ तबक़ात अल-कुबरा, सफ़ा 4, मतबुआ मिस्र)।

इक्यावनवां क़ौल:

इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी अलैहिररहमा ने फ़रमाया:

"सच्चा कश्फ़ हमेशा शरीअ़त के मुताबिक़ ही आता है, जैसा कि इस फ़न के उलमा में ये बात तय हो चुकी है।" (मीज़ान अल-शरीअह, सफ़ा 13, मतबुआ मिस्र)।

बावनवां क़ौल:

हज़रत अब्दुल ग़नी नाबुलसी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं:

"हमारे ज़माने में बाज़ लोग सूफ़ी होने का दावा करने वाले ये कहते हैं कि अये इल्म-ए-ज़ाहिर वालो! तुम अपने अहकाम किताब ओ सुन्नत से

लेते हो और हम ख़ुद साहिब-ए-क़ुरान से लेते हैं। ये क़ौल बला इज्मा कई वजूहात से कुफ़्र है। उन में से एक वजह तो यही है कि आक़िल ओ बालिग़ होने के बावजूद अपने आप को शरीअ़त की पाबंदी से आज़ाद क़रार दिया। यही फ़रमाया: 'अगर इल्म-ए-ज़ाहिर छोड़ने से क़ाइल की मुराद न सीखना और इस का एहतिमाम न करना है, ये ख़्याल करते हुए कि इल्म-ए-ज़ाहिर की हाजत नहीं, तो ऐसे आदमी ने अल्लाह त'आला के कलाम को अहमक बताया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मुआज़ अल्लाह बेवकूफ़ ठहराया और उस ने रसूलों के भेजने और किताबों के उतरने को फ़ज़ूल और बातिल ठहराया। तो कुछ शक नहीं कि ऐसा समझने वाला काफ़िर और सब से सख़्त तर काफ़िर है।" (हदीक़ा नदिया, सफ़ा 111-112, मतबुआ मिस्र)।

तिरपनवां क़ौल:

भी इमाम अब्दुल ग़नी नाबुलसी अलैहिर्रहमा ने शरीअ़त-ए-मुतह्हरा की तआज़ीम के बारे में हज़रत जुनैद बग़दादी, सिरी सक़ती, बयाज़ीद बुस्तामी और दीगर बुज़ुर्गान-ए-दीन के अक़्वाल मुबारका ज़िक्र कर के फ़रमाया:

"ऐ आक़िल! ऐ हक़ के तालिब! देख ये तरीक़त के अज़ीम अल-मर्तबत बुज़ुर्गों और हक़ीक़त के अज़ीम सुतूनों ने शरीअ़त-ए-मुतह्हरा की कैसी तआज़ीम फरमाई है और वो क्यों न करें कि वो इसी तआज़ीम-ए-शरीअ़त और सीधी राह शरीअ़त की पैरवी के सबब अल्लाह त'आला तक पहुंचे और इन बुज़ुर्गों से या उन के इलावा किसी और वली से एक भी ऐसा क़ौल मनक़ूल नहीं कि उस ने शरीअ़त-ए-मुतह्हरा के किसी हुक्म की तहक़ीर की हो या उसे क़ुबूल करने से बाज़ रहा हो, बल्के तमाम औलिया शरीअ़त के सामने अपनी गर्दनें झुकाए हुए हैं। और अपने बातिनी उलूम की बुनियाद हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर रखते हैं। तो तुझे हद से गुज़रे हुए इन जाहिलों की बातें धोके

में न डालें जो अपनी तरफ़ से सूफ़ी बनाते हैं लेकिन वो ख़ुद बिगड़े हुए और दूसरों को बिगाड़ने वाले हैं, ख़ुद गुमराह और दूसरों को गुमराह करते हैं। वो शरीअ़त के रास्ते से टेढ़े हो कर जहन्नम के रास्ते पर चलते हैं। जो शख़्स उलमा-ए-शरीअ़त की राह से बाहर है, वो तरीक़त के बुज़ुर्गों के मस्लक से ख़ारिज है, क्योंकि ऐसे लोग शरीअ़त के आदाब से मुंह फेरने को इख़्तियार किए हुए हैं और इस के मज़बूत क़िलों में पनाह लेने को छोड़े बैठे हैं। तो ऐसे लोग शरीअ़त का इंकार करने की वजह से काफ़िर हैं, अगर चे इन लोगों का दावा ये है कि ये लोग अनवार से रोशन हैं। तरीक़त के जुमला जलील अल-क़द्र बुज़ुर्ग तो शरीअ़त के आदाब पर क़ायम हैं और अहकाम-ए-इलाही की तआज़ीम के मुतअक़िद हैं। और इसी लिए अल्लाह त'आला ने उन्हें कमालात का तोहफ़ा दिया और तरीक़त से बे ख़बर अपनी ख़ुराफ़ात पर धोके का लिबास पहने हुए हैं और ज़ाहिर में मुसलमान लेकिन हक़ीक़त में काफ़िर हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने वहमों के बुतों के सामने अदब से बैठे हुए हैं। शैतान जो वसवसे उन के ज़ेहन में डालता है, ये उन्हें वसवसों और फित्नों में पड़े हुए हैं और ये कमाल बर्बादी है उन के लिए जो उन का पैरोकार हो या ऐसों के कामों को अच्छा जाने। और ये बर्बादी इस लिए है कि वो राह-ए-ख़ुदा के डाकू हैं।“ (हदीक़ा नदिया, सफ़ा 130-131, जिल्द 1, मतबुआ मिस्र)।

चौवनवां क़ौल:

सिलसिला चिश्तिया अशरफ़िया के सरदार क़ुत्ब-ए-रब्बानी हज़रत मख़दूम अशरफ़ जहांगीर चिश्ती समनानी (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं:

“ख़िलाफ़-ए-आदत फे‘ल अगर विलायत से मुत्तसिफ़ किसी शख़्स से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं और अगर किसी शरीअ़त के मुख़ालिफ़ से ज़ाहिर हो तो इस्तिदराज (जादूगरी) कहते हैं।“ (लताइफ़ अशरफ़िया, सफ़ा 126)।

पचपनवां क़ौल:

हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के बिल-वसीता ख़लीफ़ा हज़रत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख़ ओ मुरशिद से रिवायत करते हैं:

"जब तक दिल शरीअ़त को मुकम्मल तौर पर न थाम ले, तब तक विलायत में क़दम रखना नामुमकिन है। बल्के अगर शरीअ़त का इंकार करे तो काफ़िर हो जाएगा।" (नफ़ाहात अल-उन्स, सफ़ा 287)।

छप्पनवां क़ौल:

शेख़ अल-इस्लाम हज़रत अहमद नामी जामी (रदीयल्लाहु अन्हु) ने हज़रत ख़्वाजा मौदूद चिश्ती (रदीयल्लाहु अन्हु) से फ़रमाया:

"पहले मुसल्ला एक तरफ़ रख दो और जा कर इल्म सीखो, क्योंकि बेग़ैर इल्म के ज़ुह्द ओ तक़्वा में पड़ने वाला शैतान का मसख़रा है।" (नफ़ाहात अल-उन्स, सफ़ा 210)।

ये क़ौल एक नफ़ीस ओ लतीफ़ हिकायत का हिस्सा है। हम इस हिकायत का ख़ुलासा पेश करते हैं ता कि इस कलाम का मतलब मालूम हो और सिलसिला चिश्तिया बिहिश्तिया के सरदार ख़्वाजा मौदूद चिश्ती अलैहिर्रहमा से वहम दूर हो और आजकल के बहुत से वो हज़रत जो विलायत की मसनद को अपने बाप की विरासत समझते हैं, उन के लिए हिदायत ओ इबरत का सबब हो।

हज़रत ख़्वाजा मौदूद चिश्ती (रदीयल्लाहु अन्हु) सिलसिला चिश्तिया के जलील अल-क़द्र बुज़ुर्गों और सरदारों की औलाद में से थे। इन बुज़ुर्गों के बाद आप (रदीयल्लाहु अन्हु) अपने अबा ओ अजदाद के मंसब पर बैठे। हज़ारों लोग मुरीद हुए मगर साहिबज़ादा साहिब अभी न तो आलिम हुए थे। और न ही राह-ए-तरीक़त में किसी कामिल मुरशिद की तालीम से चले थे। अल्लाह त'आला की इनायत उन के शामिल-ए-हाल हुई कि उन की तालीम ओ तर्बियत के लिए हज़रत शेख़ अल-

इस्लाम सैय्यदी अहमद नक़्शबंदी जामी अलैहिर्रहमा को हेरात भेजा। जब ये बुज़ुर्ग हेरात पहुंचे तो लोग उन की अज़ीम अल-शान करामत देख कर उन के मुरीद ओ मुतअक़िद हो गए और उन का शोहरत हर तरफ़ फैल गया। ख़्वाजा मौदूद चिश्ती अलैहिर्रहमा को ये बात न गवार महसूस हुई और इरादा किया कि हज़रत शेख़ अल-इस्लाम अहमद जामी अलैहिर्रहमा को मुल्क से निकाल दें। चुनांचे मुरीदों का लश्कर ले कर हरकत में आए। हज़रत शेख़ अल-इस्लाम अहमद जामी अलैहिर्रहमा के साथियों को इस बात की इत्तिला मिली लेकिन उन्हों ने बराह-ए-अदब हज़रत को न बताया मगर हज़रत ख़ुद ही ख़ूब जानते थे। एक दिन जब सुबह का खाना हाज़िर किया गया। आप ने इरशाद फ़रमाया: “ठहरो, कुछ क़ासिद आने वाले हैं।“ थोड़ी देर बाद ख़्वाजा मौदूद के क़ासिद हाज़िर हो गए।

हज़रत ने उन्हें खाना खिलाया फिर फ़रमाया: “तुम कहेंगे या मैं बता दूं कि तुम किस लिए आए हो?“ उन्हों ने अर्ज़ की: “आप ही फरमा दें।“ फ़रमाया: “तुम्हें ख़्वाजा मौदूद ने भेजा है कि जा कर मुझे ये कह दो कि तुम हमारी विलायत में क्यों आए हो? सीधी तरह वापस जाना है तो चले जाओ, वरना जिस तरह चाहेंगे निकाल देंगे।“ क़ासिदों ने इस बात की तस्दीक़ की कि हां ख़्वाजा मौदूद ने यही पैग़ाम दे कर भेजा था। हज़रत अहमद जामी अलैहिर्रहमा ने इस पर फ़रमाया: “अगर विलायत से मुराद ये देहात हैं तो ये न औरों की मिल्क हैं और न ख़्वाजा मौदूद की।

और अगर विलायत से मुराद ये लोग हैं तो ये लोग संजर के बादशाह की रअया हैं। इस एतिबार से तो बादशाह शेख़ अल-शुयूख़ बनता है।

और अगर विलायत से मुराद वो है जो मैं जानता हूं और जिसे औलिया जानते हैं तो कल हम उन्हें दिखा देंगे कि विलायत का काम क्या और कैसा होता है।“ क़ासिदों को ये जवाब दे कर भेज दिया। फिर बारिश

शुरू हो गई और एक दिन रात मुसलसल बरसती रही। दूसरे दिन सुबह के वक़्त हज़रत अहमद जामी अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया: "घोड़े तैयार करो ताकि ख़्वाजा मौदूद की तरफ़ चलें।" साथियों ने अर्ज़ की: "हुज़ूर नदी में पानी बहुत आ गया है। अब जब तक चंद रोज़ तक बारिश मौक़ूफ़ न रहे कोई मल्लाह भी कश्ती नहीं ले जा सकता। आप ने फ़रमाया: "कुछ मुश्किल नहीं, आज हम मल्लाही करेंगे।" जब सवार हो कर जंगल में पहुंचे तो देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह हथियार ले कर मौजूद है। फ़रमाया: "ये लोग क्यों जमा हैं?" अर्ज़ की गई: "उन को मालूम हुआ कि आप के मुक़ाबले के लिए कोई जमाअत आई है। चुनके ये आप के मुरीद और मुहब्बत करने वाले हैं, इस लिए आप के साथ चलने के लिए आए हैं।" फ़रमाया: "उन्हें वापस कर दो। तीर तलवार का बादशाह संजर का काम है। औलिया के हथियार और ही होते हैं।" अल-ग़र्ज़ चंद ख़ुद्दाम को ले कर नदी के किनारे पहुंचे। पानी ख़ूब चढ़ा हुआ था। आप ने फ़रमाया: "हम ने कहा था कि मल्लाही हम करेंगे। ये कह कर मआरिफ़त-ए-इलाही के बारे में कलाम करना शुरू किया। लोग सुन कर आपाय से बाहर हो गए। आप ने फ़रमाया: "आंखें बंद कर लो और बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम पढ़ कर चल दो।" लोगों ने ऐसा ही किया। जिस ने जल्दी आंख खोली उस का जूता पानी से तर हो गया और जिस ने देर से आंख खोली उस का जूता भी ख़ुश्क रहा और सब ने अपने आप को दरिया के पार पाया। ख़्वाजा मौदूद के क़ासिदों ने जब ये मुआमला देखा, फ़ौरन जा कर साहिबज़ादा साहिब को मुत्तलअ किया। किसी को यक़ीन न आया। साहिबज़ादा दो हज़ार मुसल्लह मुरीदों के साथ सामने आ गए। लेकिन जैसे ही शेख़ अल-इस्लाम की नज़र से नज़र टकराई, फ़ौरन बे इख़्तियार हो कर पैदल आए और हज़रत शेख़ अल-इस्लाम के पांव चूमे। हज़रत ने उन की पीठ पर हाथ मारा और फ़रमाया:

"विलायत का काम देखा? तुम नहीं जानते कि अल्लाह वालों की विलायत फ़ौज और असलहा से नहीं होती। जाओ सवार हो जाओ। अभी

तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या करते हो।“ फिर जब बस्ती में आए तो हज़रत अहमद जामी अलैहिर्रहमा एक महल्ले में ठहरे और साहिबज़ादा ख़्वाजा मौदूद दूसरे महल्ले में। दूसरे दिन साहिबज़ादा के मुरीदों ने कहा: “हम तो अहमद जामी को मुल्क से निकालने आए थे और आज उन के साथ एक ही बस्ती में ठहरे हुए हैं। कोई तरीक़ा कार इख़्तियार करना चाहिए।“ हज़रत ख़्वाजा मौदूद ने कहा: “मेरी दुरुस्त राय ये है कि सुबह उन की ख़िदमत में हाज़िर हो कर वापसी की इजाज़त ले लें। पस उन का काम हमारी ताक़त में नहीं।“ मुरीदों ने कहा: “दुरुस्त राय ये है कि एक जासूस मुक़र्रर कर लें। जब उन के दो पहर के आराम का वक़्त आए और लोग उन के पास से चले जाएं और वो तन्हा हों, उस वक़्त हमारी एक जमाअत के लोग आप के साथ उन के पास जाएं और क़व्वाली शुरू करें और वज्द की सूरत बनाएं। इसी हालत में उन पर हमला कर के काम तमाम कर दें।“ हज़रत ख़्वाजा ने फ़रमाया: “ये ठीक नहीं, वो वली हैं, साहिब-ए-करामत हैं।“ मगर जब दो पहर को हज़रत शेख़ अल-इस्लाम के आराम का वक़्त हुआ, ख़ादिम ने चाहा कि बिछौना बिछाएं। फ़रमाया: “थोड़ी देर ठहरो, कुछ काम है।“ अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ख़ादिम ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत ख़्वाजा मौदूद एक बहुत बड़े गिरोह के साथ खड़े हैं। सलाम के बाद क़व्वाली शुरू हुई। साथियों ने नारे लगाना शुरू किए। उन्हों ने चाहा कि अपना फ़ासिद इरादा पूरा करें कि अचानक हज़रत शेख़ अल-इस्लाम ने सर मुबारक उठा कर फ़रमाया: “ऐ सहल! तू कहां है? अरे ऐ सहल! तू कहां है?“ सहल नाम के ये बुज़ुर्ग शहर सरख़सी के रहने वाले थे और हमेशा हज़रत शेख़ अल-इस्लाम के साथ रहते थे। हज़रत के आवाज़ देते ही फ़ौरन हाज़िर हुए और उन फ़सादियों पर एक नारा मारा, सब अपनी जूतियां पगड़ियां छोड़ कर भाग गए। सिर्फ़ ख़्वाजा मौदूद चिश्ती बाक़ी रह गए। निहायत शर्मिंदगी से खड़े हुए और नंगे सिर हो कर माफ़ी मांगी और अर्ज़ की: “हुज़ूर आप जानते हैं कि फ़साद में मेरी मर्ज़ी नहीं थी।“ फ़रमाया: “तुम सच कहते हो मगर तुम साथ क्यों आए?“ अर्ज़ की:

“मैं ने बुरा किया, मुझे माफ़ फरमा दें।“ फ़रमाया: “मैं ने माफ़ किया। अब इन लोगों को बुलाओ और दो ख़िदमतगार मुक़र्रर करो और तीन दिन ठहरो।“ हज़रत ख़्वाजा मौदूद ने ऐसा ही किया। इस के बाद ख़्वाजा मौदूद ने हाज़िर हो कर अर्ज़ की: “जो आप का हुक्म था, वो मैं ने पूरा कर दिया। अब मज़ीद क्या फरमान है?“ फ़रमाया: “जब इल्म हासिल करने से फ़ारिग़ हो जाओ तो अपना रूहानी ख़ानदान ज़िंदा करो। तुम्हारे अबा ओ अजदाद औलिया ओ साहिब-ए-करामत थे।“ ख़्वाजा मौदूद ने कहा: “हज़रत आप मुझे अपने अबा ओ अजदाद का सिलसिला ज़िंदा करने का फ़रमाते हैं तो पहले तबर्रुक का मुझे मसनद पर बिठा दें।“ फ़रमाया: “आगे आओ।“ ये आगे आए। हज़रत शेख़ अल-इस्लाम ने हाथ पकड़ कर अपनी मसनद के किनारे पर बिठाया और फ़रमाया: “तुम्हें मसनद पर बिठाता हूं बशर्ते कि तुम आलिम बनो।“ ये तीन मर्तबा फ़रमाया। हज़रत ख़्वाजा मौदूद तीन दिन दो हाज़िर रहे, फ़ैज़ ओ बरकत लिए, नवाज़िश हासिल की। फिर इल्म हासिल करने के लिए बल्ख़ ओ बुख़ारा तशरीफ़ ले गए।

चार साल में उलूम में कामिल महीर हो गए। हर शहर में हज़रत ख्वाजा मौदूद की करामात ज़ाहिर हुई। फिर इलाका चिश्त में पहुंचे और मुरीदों की तरबियत में मशगूल हो गए। मुख्तलिफ जगहों से लोग हाजिर खिदमत हुए और हज़रत की बरकतों से मारिफत की दौलत और विलायत का मर्तबा हासिल किया। हज़रत ख्वाजा शरीफ जिंदानी (रदीयल्लाहु अन्हु) जो निहायत आला पाये के वली और आरिफ और अल्लाह त'आला की बरगाह तक पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, उन्हें जनाब ख्वाजा के मुरीद और तरबियत याफ्ता थे। (नफहात अल-उन्स, सफा 209-211)।

सतावनवा कौल:

हज़रत मौलाना नूरुद्दीन जामी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं:

“अगर खिलाफ-ए-आदत एक लाख अफ़आल भी ज़ाहिर हों, जब तक उनका ज़ाहिर शरीयत के अहकाम के मुवाफिक न हो और बातिन तरीकत के आदाब के मुताबिक न हो, वो दुरुस्त है। इस्तिदराज (शैतान के तरफ से जादुगरी) होगा, विलायत और करामात नहीं।“ (नफहात अल-उन्स, सफा 19)। भी यही लताइफ़ अशरफ़िया, सफा 129 में है। फिर दोनों किताबों में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी (रदीयल्लाहु अन्हु) का वो कौल मज़कूर है जो कौल नंबर 32 में गुज़रा।

चंद नफाइस फवाइद:

1. एक नफीस फ़ाइदा: इस नफहात अल-उन्स शरीफ में हज़रत शेख अल-इस्लाम अब्दुल्लाह हरवी (रदीयल्लाहु अन्हु) से मनकूल है कि हज़रत शेख अहमद चिश्ती (रदीयल्लाहु अन्हु) की तारीफ करते हुए फ़रमाते थे:

“चिश्ती हज़रत तमाम के तमाम बातिन में पाक और मारिफत और फिरासत में होशियार हैं। उनके अहवाल इख़लास और तर्क-ए-रिया कारी के साथ मौसूफ हैं। और वो शरीयत में सुस्ती को जाइज़ नहीं समझते।“ (नफहात अल-उन्स, सफा 18)। और नफहात अल-उन्स के क़दीम क़लमी नुस्खे में जो तीन सौ साल पुराना है, यूं लिखा हुआ है:

“हमारे चिश्ती भाई चिश्ती बुजुर्गो के हाल मुबारक का मुशाहिदा करें कि वो हरगिज़ शरीयत में सुस्ती को भी जाइज़ नहीं समझते, चे जाइज़ के वो अहकाम-ए-शरीयत को हल्का जानें और चिश्ती होने को शरीयत के अहकाम से आज़ादी का परवाना समझें।“

सुल्तान अल-औलिया हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब-ए-इलाही (रदीयल्लाहु अन्हु) के इरशादात-ए-आलिया सुनिए। फ़रमाया:

“कव्वाली के जाइज़ होने के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं: सुनाने वाला, सुनने वाला, जो चीज़ सुनाई जा रही है, और आला-ए-सामा। कव्वाली

सुनाने वाला मर्द हो, बच्चा और औरत न हो। सुनने वाला याद-ए-हक से गाफिल न हो और जो चीज़ सुनाई जा रही है वो बख्श और मसखरा पन न हो और आला-ए-सामा में है जैसे चंग और रबाब यानी आलात-ए-मौसिकी वगैरा ऐसी कोई चीज़ दरमियान में न हो। जब ये शर्तें पाई जाएं तो कव्वाली हलाल है।" (सीर अल-औलिया, सफा 492-491)।

2. दूसरा नफीस फ़ाइदा: एक मर्तबा चंद मुरीदों ने अर्ज़ की कि आजकल बाज़ खानकाह वाले दरवेशों ने बाजों के मजमा में वज्द किया फ़रमाया: "अच्छा नहीं किया। जो बात शरीयत में न जाइज़ है वो किसी तरह पसंदीदा नहीं।" (सीर अल-औलिया, सफा 520)।

3. तीसरा नफीस फ़ाइदा: किसी ने अर्ज़ की जब वो लोग वहां से बाहर आए, उनसे कहा गया कि तुमने ये क्या किया? वहां तो बाजे थे, वहां क्यों कव्वाली सुनी और वज्द किया? वो बोले: "हम ऐसे बेखुद हो गए थे कि हमें बाजों की खबर ही न रही।" हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया (रदीयल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया: "ये जवाब बहाना बिल्कुल फ़ज़ूल है। इस तरह तो सब गुनाहों में यही हीला हो सकता है। कोई शराब पिए और कहे कि कमाल इस्तिग़राक की वजह से हमें खबर नहीं हुई कि शराब है या पानी। कोई ज़िना कर दे और कहे कि हमें पता न चला कि बीवी है या कोई अजनबी औरत।"

4. चौथा नफीस फ़ाइदा: किसी ने अर्ज़ की कि फला मजमा में अपने कुछ दरवेश अहबाब जमा हुए, हालांकि वहां पर बाजे वगैरा हराम चीज़ें थीं। हज़रत सुल्तान अल-मशाइख ने फ़रमाया: "मैंने मना किया था कि बाजे और हराम चीज़ें दरमियान में न हों। उन्होंने अच्छा नहीं किया।" (सीर अल-औलिया, सफा 522)।

5. पांचवा नफीस फ़ाइदा: हज़रत के खलीफा शेख मुहम्मद इब्न मुबारक (रदीयल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन

(रदीयल्लाहु अन्हु) ने इस बारे में निहायत शदीद और सख्त ताईद से ममानियत फरमाई, यहां तक कि फ़रमाया:

“अगर इमाम नमाज़ पढ़ाता हो और जमात में कुछ औरतें भी हों, इमाम भूल जाए तो मर्द सुभान अल्लाह कह कर इमाम को मुत्तला करे और अगर औरत बताना चाहे तो वो अपने हाथ की पुश्त हथेली पर मारे, हथेली पर हथेली न मारे, कि ये खेल की तरह है।“ और इसी तरह और भी इस किस्म की चीज़ों से ममानियत आई है। पस कव्वाली में ज़ियादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों से इहतिराज करे। “शेख मुबारक फ़रमाते हैं: ’जब ताली बजाने के बारे में इतना इहतियात आया है तो बाजे सुनने में तो और ज़ियादा ममानियत होगी।’“ बंदगान-ए-खुदा यानी चिश्ती बुजुर्ग तो ताली को न जाइज़ जानते हैं और नफ्स के पैरोकार, उन पर सितार और ढोलक सुनने की तोहमत लगाते हैं, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि चिश्ती बुजुर्ग साज़ों (मौसिकी) के साथ कव्वाली सुनते थे।

6. छठा नफीस फ़ाइदा: हज़रत महबूब-ए-इलाही के मलफूज़ात बनाम ’फवाइद अल-फुअद’, जिन्हें हज़रत मीर हसन संजारी ने जमा किया है, उनमें भी हज़रत का वाजेह इरशाद मज़कूर है कि मज़ामीर (आलात-ए-मौसिकी) हराम हैं।

7. सातवा नफीस फ़ाइदा: हज़रत महबूब-ए-इलाही के खलीफा मौलाना फखरुद्दीन ज़रादी ने आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ही हज़रत के हुक्म से कव्वाली के बारे में एक रिसाला लिखा जिसका नाम है ’कश्फ अल-क़िना अन उसूल अल-सामा’। इसमें फ़रमाते हैं:

“हमारे मशायख करीम (रदीयल्लाहु अन्हु) का कव्वाली सुनना साज़ों के बुहतान से पाक है। वो तो सिर्फ कव्वाली की आवाज़ है। इन अशआर के साथ जो अल्लाह त'आला की कमाल सनअत की खबर देते हैं।“

मुसलमानो! ये बुज़ुर्ग बच्चे हैं या वो लोग जो अपनी ख्वाहिश-ए-नफ्स की हिमायत में इन बंदगान-ए-खुदा चिश्ती बुज़ुर्गों रहमतुल्लाह अलैहि पर साज़ों के साथ कव्वाली सुनने की तोहमत लगाते हैं। अल्लाह त'आला हमारे मुसलमान भाइयों को भलाई की तौफीक और हिदायत बख्शे। आमीन बिजाह अन-नबी अल-अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

अनठनवां क़ौल:

ख़ानदान-ए-चिश्तिया के जलील अल-क़द्र वली हज़रत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह की शान में हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाह जहां आबादी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं: "एक रात मैं मदीना मुनव्वरा में बिस्तर पर सोया हुआ था कि मैंने ख़्वाब देखा कि मैं और सैयद सबग़तुल्लाह रोजी, दोनों हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में हाज़िर हैं और वहां सहाबा किराम और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम का एक मजमुआ लगा हुआ है। उनमें एक शख़्स है जिसकी तरफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम निहायत मुहब्बत के साथ क़सम वल-तफ़त्तुन फ़रमाते हैं और कुछ इरशाद फ़रमाते हैं। जब मजलिस ख़त्म हुई तो मैंने हज़रत सैयद सबग़तुल्लाह से पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन हैं जिनकी तरफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इतनी मेहरबानी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं और उनके इस मर्तबा की वजह उनकी किताब सबअ सनाबिल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में मक़बूल हुई है।"

यही हज़रत मीर अब्दुल वाहिद अलैहिर्रहमा अपनी इस किताब सबअ सनाबिल में फ़रमाते हैं: "ऐ साहिब-ए-तहक़ीक़, रह-ए-दीन इस्लाम के उलमा जो अंबिया के वारिस हैं, उनके तीन गिरोह हैं: (1) मुहद्दिसीन, (2) फ़ुक़हा, (3) सूफ़िया।" (सबअ सनाबिल, पेज 4) देखो, कितनी उम्दा

तशरीह है कि उलमा-ए-ज़ाहिर व बातिन सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं।

उनसठवां क़ौल:

यही हज़रत मीर रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह इसी सबअ सनाबिल शरीफ़ में फ़रमाते हैं: "शरीअ़त-ए-मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और दीन-ए-अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी दीन-ए-इस्लाम ही सलामती वाला और सीधा रास्ता है। ख़ातम-उन-नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने हज़ारों औलिया व सूफ़िया और शुहदा व सिद्दीक़ून के साथ इसी रास्ते पर चले और सब ने इसी रास्ते को कांटों और शुकूक व शुबुहात से पाक किया। और इस रास्ते की मंज़िलें और निशानियां वाज़ेह तौर पर बयान की हैं। हर क़दम पर एक निशान क़ायम किया और सराय में तो शाह राह रखा और डाकुओं से हिफ़ाज़त के लिए एक क़वी क़ाएद-ए-सालार हमराह किया। तो अगर कोई बिदअती (गुमराह) किसी दूसरे रास्ते की तरफ़ दावत दे तो चाहिए कि उसकी बात न सुनी और दीन-ए-हक़ की मदद के तौर पर ऐसे शख़्स का रद्द करना फ़राइज़ में से शुमार करें। बिदअती और गुमराह लोग ख़ुद को धोखे के साथ इस्लाम के लिबास में ज़ाहिर करते हैं और बातिन में फ़ासिद अक़ीदा छुपाए हुए होते हैं। ये लोग दीन के दुश्मन और शैतान के भाई हैं। और जब उलमा-ए-दीन के इल्म और बुज़ुर्गान-ए-दीन के इल्म के नूर की वजह से बिदअतियों और गुमराहों के अंधेरे छट जाते हैं तो ना-चार ये लोग उलमा-ए-शरीअ़त को अपना दुश्मन समझते हैं। उलमा-ए-रब्बानी जो इस्लाम के आसमान के सितारे हैं, वो लोगों को इन इंसानी शैतानों से बचाते हैं और इन उलमा के नूरानी वुजूद शरीअ़त के चोरों के लिए शहाब-ए-साक़िब की तरह हैं जो उन पर चारों जानिब से बरसते हैं और मार मार कर उन को मुंतशिर कर देते हैं।" (सबअ सनाबिल, पेज 89)

उम्र-ए-जाहिल ने उलमा-ए-शरीअ़त को मआज़ अल्लाह शैतान कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन औलिया किराम की मोती बिखेरने वाली ज़बान ही से अल्लाह अज़्ज़ावजल ने साबित कर दिया कि ये जाहिल उम्र दावर उसके साथी और उस जैसा अक़ीदा रखने वाले ही शैतान और दीन के दुश्मन हैं। और अल्लाह त'आला की हज़ार हज़ार हम्द कि ये कलिमात बरगाह-ए-रिसालत में शरफ़-ए-क़बूलियत हासिल कर चुके हैं। जैसा कि अभी गुज़रा कि सबअ सनाबिल शरीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में मक़बूल हो गई और मज़कूरह इबारत इसी किताब की है।

साठवां क़ौल:

यही अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मीर अब्दुल वाहिद रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह फ़रमाते हैं: "चंद शराइत जान कि उनके बग़ैर पीरी व मुरीदी हरगिज़ जाइज़ नहीं। एक यह कि पीर सहीह मसलक रखता हो, यानी उसका सिलसिला सहीह हो। दूसरा यह कि पीर शरीअ़त के हक़ की अदायगी में कोताही व सुस्ती करने वाला न हो। तीसरा यह कि पीर के अक़ाएद दुरुस्त और मज़हब अहल-ए-सुन्नत व जमाअत के मुवाफ़िक़ हों। पीरी व मुरीदी इन तीन शराइत के बग़ैर हरगिज़ जाइज़ नहीं।"

फिर शर्त-ए-अव्वल की तफ़सील इरशाद फ़रमा कर शर्त-ए-दौम के मुतअल्लिक़ फ़रमाया: "पीरी की दूसिरी शर्त यह है कि पीर आलिम हो और तमाम इबादत पर अमल करने वाला हो और शरीअ़त के अहकाम में कोताही दस्ती करने वाला न हो और शरीअ़त के अहकाम को हक़ीर जानने वाला न हो। और अगर शरीअ़त की इबादत का आलिम नहीं तो उन पर अमल हरगिज़ नहीं कर सकता और ऐसा शख़्स शरीअ़त की हद्द से गिर जाएगा। पस वो पीरी के लाइक़ नहीं। क्योंकि जो शख़्स हक़ीक़त के मक़ाम से गिर जाता है, वो तरीक़त पर क़रार पकड़ता है और जो तरीक़त के मक़ाम से गिर जाता है, वो शरीअ़त पर क़रार पकड़ता है और

जो शरीअ़त से गिर जाता है, वो गुमराह हो जाता है। और गुमराह शख़्स पीर बनने के लाइक़ नहीं। और वो दरवेश कि जिसके पास मख़्लूक़ बकसरत आती है, उसे शरीअ़त के मसाइल में इहतियात फ़र्ज़ व लाज़िम है। उसे चाहिए कि वो शरीअ़त के किसी बारीक से बारीक मसले को भी न छोड़े कि उसका ये अमल मुरीदों की गुमराही का सबब बन सकता है। क्योंकि मुरीद पीर के उसी तर्क-ए-अमल को दलील बना कर कहेंगे कि हमारे पीर ने तो इस तरह किया था। इस तरह मुरीद गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले होंगे।"

फिर हज़रत ने तीनों शराइत बयान कर के फ़रमाया: "जब मुरीद पीर को इन तीन शराइत के साथ मुत्तसिफ़ पाए तो उसकी बैअत करले कि अब उसकी बैअत करना जाइज़ व पसंदीदा है। और अगर इन तीन शराइत में से एक भी शर्त पीर में नहीं पाई जाती तो उसकी बैअत जाइज़ न होगी। और अगर किसी ने ला-इल्मी में किसी ऐसे पीर की बैअत कर ली हो तो उसे चाहिए कि बैअत तोड़ दे।" (मुख़्तसर अज़ सबअ सनाबिल, पेज 436-439)

ख़ातिमा:

ये बाज़ाहिर साठ अक़वाल हैं मगर हक़ीक़तन चालिस औलिया-ए-किराम के अस्सी अक़्वाल हैं कि बाज़ शुमार में नहीं आए और मुतअद्दिद जगह एक क़ौल के ज़िम्न में मुत'अद्दिद (अनेक) अक़्वाल मज़कूर हुए हैं और इन सब का मजमुआ अस्सी है।

तक्मिला:

आला हज़रत इमाम अहल-ए-सुन्नत मुजद्दिद-ए-दीन व मिल्लत सैयदी व वालिदी हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह का इरादा था कि जिन औलिया-ए-किराम रहमतुल्लाह अलैहिम के अक़्वाल किताब में मज़कूर हुए, उनके नामों की फ़ेहरिस्त भी

बनाएं। अमीर-उल-मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह और इमाम मालिक व शाफ़ेई रज़ी अल्लाहु त'आला अन्हुमा के नाम लिख कर इरादा किया कि अवाम के वहमों को दूर करने और मुजतहिदीन किराम की विलायत और बुलंद मर्तबा को साबित करने के लिए कुछ तहरीर करें। अभी चंद जुमले लिखे थे कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तवज्जुह किसी और अहम काम की तरफ़ हो गई और मज़कूर काम बाक़ी रह गया। अब रिसाले के छपने का वक़्त आया तो इस मक़सद के लिए फ़क़ीर (आला हज़रत के साहिबज़ादे मौलाना हामिद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा) ने क़लम उठाया। वालिद गिरामी के फ़ैज़-ए-आम और लुत्फ़ व कराम की ऐसी लहर आई कि क़लम रोकते रोकते मज़मून तवील हो गया। लिहाज़ा बंदा ने बतौर ज़मीमा के इसे और इसके साथ फ़ेहरिस्त बना कर रिसाले में दर्ज कर दिया।

तज़ीम जमील ख़ूबसूरत ज़मीमा

ऐ अल्लाह, मैं हामिद हूँ और तू महमूद है, दुरूद ओ सलाम भेज अपने महबूब पर जो हामिद ओ महमूद हैं और आपकी आल और सहाबा पर हमेशगी के दिन तक।

रिसाला मुबारक में इमाम मालिक व इमाम शाफ़ेई रज़ी अल्लाहु त'आला अन्हुमा के अक़्वाल से दलील पकड़ी और ख़ातिमा में "चालिस औलिया-ए-किराम के अस्सी इरशादात" का जुमला लिखा। यानी फ़ेहरिस्त औलिया में मज़कूरह मुजतहिदीन के नाम भी दर्ज किए। और अवाम चूंकि मुजतहिदीन किराम के मक़ाम विलायत को नहीं जानती इसलिए उनके वहमों को दूर करने के लिए फ़रमाया कि आइम्मा मुजतहिदीन रज़ी अल्लाहु त'आला अन्हुम अगरचे तमाम जहां से ज़्यादा अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विरासत हासिल किए हुए हैं मगर अवाम फिर भी उन्हें उलमा-ए-ज़ाहिर में शुमार करती हैं। हालांकि वो सिर्फ़ उलमा-ए-ज़ाहिर नहीं बल्कि इल्म-ए-बातिन में इमाम और इंतिहाई बुलंद मक़ाम को पहुंचे हुए हैं।

निज़ाम बाज़ लोग औलिया-ए-किराम के अक़्वाल में कमी बेशी करके अवाम के सामने पेश करते हैं ताकि उलमा व मुजतहिदीन के ख़िलाफ़ अवाम को उभारें। उलमा-ए-दीन ने ऐसे तमाम अक़्वाल के रद्द बारहा पेश किए हैं। मसलन हज़रत सैयद अली मरसफ़ी रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह का एक क़ौल है जिसे बाज़ लोग मुजतहिदीन किराम के ख़िलाफ़ पेश करते हैं, हम उसे उसके रद्द समेत ज़िक्र करते हैं। चुनाचे इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह फ़रमाते हैं: "मैंने हज़रत अली मरसफ़ी रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह को बारहा फ़रमाते सुना कि मुजतहिदीन किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वारिस थे। इल्म-ए-हक़ीक़त और इल्म-ए-शरीअ़त दोनों में ब-ख़िलाफ़ बाज़ सूफ़ी होने का दावा करने वालों के कि उन्होंने

कहा कि मुजतहिदीन सिर्फ़ इल्म-ए-शरीअ़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वारिस थे। हत्ता कि बाज़ लोगों ने यह कह दिया कि वो तमाम इल्म जिसे मुजतहिदीन जानते हैं, तरीक़त में कामिल आदमी के इल्म का चौथाई हिस्सा है। क्योंकि हमारे नज़दीक कोई मर्द उस वक़्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि अपने मक़ाम विलायत में क़ौल-ए-इलाही अल-अव्वल वल-आख़िर वज़-ज़ाहिर वल-बातिन की चारों बरगाहों के उलूम का मुहक़्क़िक़ न हो जाए और मुजतहिदीन को सिर्फ़ अल्लाह त'आला के इस्म-ए-मुबारक अज़-ज़ाहिर की बरगाह के उलूम की तहक़ीक़ है और बस, न उन्हें हज़रत अज़ल का इल्म है, न हज़रत अबद का, और न इल्म-ए-हक़ीक़त का है। और मैं कहता हूँ कि यह कलाम जो मुजतहिदीन के बारे में है किसी जाहिल का है। जो आइम्मा किराम के अहवाल नहीं जानता। वो जो ज़मीन के ओताद और दीन की बुनियाद हैं, हक़ीक़त में जलील अल-क़द्र वली और कश्फ़ ओ मारिफ़त वालों में इंतिहाई अज़ीम मर्तबा रखते हैं। वो जिस तरह ज़ाहिर के इमाम हैं, क़तअन यक़ीनन वो बातिन के इमाम भी हैं।" (मीज़ान अश-शरीअ़त अल-कुबरा, पेज 49, मतबूआ मिस्र)

इमाम अब्दुल वह्हाब शाअरानी रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह की किताब "मीज़ान अश-शरीअ़त अल-कुबरा" में इस क़िस्म के बयानात के दरिया लहरा रहे हैं और सफ़हात के सफ़हात भरे हुए हैं। उनमें से चंद एक इबारत हम नक़्ल करते हैं। फ़रमाया: "यह इसलिए कि हक़ीक़त में उन्होंने यानी मुजतहिदीन ने अपने मज़हब के उसूल की बुनियाद इल्म-ए-हक़ीक़त पर रखी है। जो शरीअ़त का आला मर्तबा है और उनके मज़ाहिब की बुनियाद शरीअ़त की सीधी हद पर है। बिलाशुब्बा वो उलमा-ए-हक़ीक़त भी थे, ब-ख़िलाफ़ उसके जो बाज़ मुक़ल्लिदीन ने गुमान कर लिया कि वो उलमा-ए-हक़ीक़त नहीं, महज़ उलमा-ए-शरीअ़त ही हैं।" फिर इमाम शाअरानी ने क़सम खा कर इरशाद फ़रमाया: "जो शख़्स हम से इस मामले में झगड़ा करे, वो आइम्मा किराम के मर्तबे से जाहिल है।

अल्लाह की क़सम, क़तअन यक़ीनन वो उलमा-ए-किराम शरीअ़त व तरीक़त के जामे थे।"

फिर इमाम शाअरानी रहिमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदी अली ख़वास रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह का अपने कानों से सुना हुआ वो इरशाद नक़्ल करते हैं, जिससे मुजतहिदीन किराम का बुलंद मर्तबा और हक़ीक़त व शरीअ़त दोनों में उनका औलिया के इमाम होना दो पहर के सूरज और चौदहवीं रात के चाँद की तरह वाज़ेह ओ रोशन हो जाए। फ़रमाते हैं: "मैंने हज़रत सैयदी अली ख़वास रज़ी अल्लाहु त'आला अन्ह को फ़रमाते सुना: आइम्मा किराम ने अपने मज़ाहिब की ताईद शरीअ़त के साथ हक़ीक़त के उसूल पर चलने से फ़रमाई ताकि अपने पैरोकारों पर ज़ाहिर कर दें कि वो दोनों तरीक़ों के उलमा हैं।" और इरशाद फ़रमाते थे: "आइम्मा अरबा में से किसी के अक़्वाल में से एक क़ौल का भी दायरा शरीअ़त से ख़ारिज हो जाना औलिया किराम रहिमतुल्लाह अलैहिम के नज़दीक क़तअन नामुमकिन है। क्योंकि वो मुजतहिदीन किताब व सुन्नत और अक़्वाल-ए-सहाबा की मुराद पर मुत्तलिअ हैं और इसलिए कि वो सहीह कश्फ़ रखते हैं और इसलिए कि उनमें से हर एक की रूह हुज़ूर-ए-नूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह-ए-मुबारक के साथ जमा होती है। और जिस मसअले में दलाईल की वजह से तवक़्क़ुफ़ हो, तो वो हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि यह हुज़ूर का इरशाद है या नहीं। वो अहल-ए-कश्फ़ की शराइत के मुताबिक़ हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने जागते हैं और हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किताब व सुन्नत समझते हैं। फिर उसे अपनी किताबों में नक़्ल करते हैं और अर्ज़ करते हैं: या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम इस आयत से यह समझे और हुज़ूर की फ़लान हदीस से यह समझे। हुज़ूर उसे पसंद फ़रमाते हैं या नहीं?" (मीज़ान अश-शरीअ़त अल-कुबरा, पेज 47)

वही हज़रत अली ख़वास से यह इरशाद फ़रमाते हैं: “हम ने जो आइम्मा मुजतहिदीन का कश्फ़ और उनका रूहानी हैसियत से हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में हाज़िर होना ज़िक्र किया है, जिसे इस बारे में यक़ीन नहीं आता और वो तरद्दुद का शिकार है, हम उससे कहते हैं कि यह भी औलिया किराम की करामात में से है। अगर आइम्मा मुजतहिदीन ही औलिया नहीं तो कायनात में कोई भी वली नहीं। बकसरत ऐसे औलिया जो मक़ाम ओ मर्तबा में आइम्मा मुजतहिदीन से यक़ीनन कम हैं, उनके बारे में मशहूर है कि उन्हें कसरत से हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में हुज़ूरी नसीब होती है। और इस बात पर उनके हम-ज़माना बुज़ुर्ग उनकी तस्दीक़ फ़रमाते हैं। वो औलिया किराम जिनको हुज़ूर-ए-नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में हुज़ूरी का शरफ़ और सोहबत ओ ज़ियारत नसीब हुई है, जिनकी काफ़ी तफ़सील तबक़ात अल-औलिया में मज़कूर है, उनमें शेख़ इब्राहीम फ़नावी, शेख़ अबू मिद्यान मग़रिबी, सैयदी अबू अल-सऊद बिन अबू अल-अशाइर, सैयदी इब्राहीम वसिती, शेख़ अबू अल-हसन शाज़िली, शेख़ अबू अल-अब्बास मुरसी, सैयदी इब्राहीम बतूली, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, शेख़ अहमद ज़वादी बचरी व ग़ैरहुम रज़ी अल्लाहु त'आला अन्हुम।”

इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा का एक ख़त आपके एक रफ़ीक़ शेख़ अब्दुल क़ादिर शाज़िली के पास हज़रत सैयदी अली ख़वास अलैहिर्रहमा ने देखा, जो उस शख़्स के जवाब में लिखा था जिसने बादशाह के पास आपकी सिफ़ारिश तलब करने को लिखा था। उस ख़त के जवाब में अल्लामा सुयूती अलैहिर्रहमा ने तहरीर फ़रमाया था: “मेरे भाई, मैं उस वक़्त तक 75 मर्तबा बेदारी की हालत में हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़िदमत में बिल-मुशाहदा हाज़िर हो चुका हूँ। अगर मुझे इस बात का ख़ौफ़ न होता कि बादशाह व उमरा के पास जाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि

वसल्लम मुझसे मुलाक़ात तर्क कर देंगे तो ज़रूर क़िला में जाता और बादशाह से तुम्हारी सिफ़ारिश करता। मैं एक ख़ादिम-ए-हदीस हूँ, जिन हदीसों को मुहद्दिसीन ने अपने तरीक़ों से ज़ईफ़ कहा है, उनकी तस्हीह के लिए हुज़ूर-ए-अकराम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ़ मोहताज हूँ। और बिलाशुब्बा इसका नफ़ा तुम्हारे नफ़ा पर तरजीह रखता है।”

मज़कूरह वाक़िया की ताईद इस बात से होती है कि हज़रत मुहम्मद बिन तरीन मदाह-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतअल्लिक़ मशहूर है कि उन्हें जागते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमने सामने ज़ियारत होती थी। जब वो सुबह के वक़्त रौज़ा-ए-अत्हर पर हाज़िर हुए तो हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे अपनी क़ब्र-ए-अत्हर में से कलाम फ़रमाया। ये बुज़ुर्ग अपने इसी मक़ाम पर फ़ाइज़ रहे हत्ता कि एक शख़्स ने उनसे दरख़्वास्त की कि शहर के हाकिम के पास उसकी सिफ़ारिश करें। आप अलैहिर्रहमा हाकिम के पास पहुंचे और सिफ़ारिश की। उसने आप अलैहिर्रहमा को अपनी मसनद पर बिठाया। तबसे आप अलैहिर्रहमा की ज़ियारत का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर ये हमेशा हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह में ज़ियारत की तमन्ना पेश करते रहे, मगर ज़ियारत नहीं हुई। एक मर्तबा एक शेर अर्ज़ किया तो दूर से ज़ियारत हुई। हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: “ज़ालिमों की मसनद पर बैठने के साथ मेरी ज़ियारत चाहता है, इसका कोई रास्ता नहीं।” हज़रत अली ख़वास फ़रमाते हैं कि फिर हमें उन बुज़ुर्ग के मुतअल्लिक़ ख़बर नहीं मिली कि उनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हुई या नहीं, हत्ता कि उनका विसाल हो गया। (मीज़ान अश-शरीअ़त अल-कुबरा, पेज 48)

इमाम शाअरानी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं: “हज़रत इमाम अबू अल-हसन शाज़िली और उनके शागिर्द हज़रत शेख़ अबू अल-अब्बास मुरसी अलैहिमा अर-रहमा फ़रमाते थे कि अगर हम लम्हा भर के लिए हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम हो जाएं तो अपने आप को मुसलमानों में शुमार न करें।” (मीज़ान अश-शरीअ़त, पेज 48)

ये इरशादात ज़िक्र फ़रमा कर इमाम शाअरानी ने फ़रमाया: “जब यह मर्तबा हर वली की बाबत है तो आइम्मा मुजतहिदीन तो इस मक़ाम के ज़्यादा मुस्तहक़ हैं।” फिर इरशाद फ़रमाते हैं: “आइम्मा फ़ुक़हा किराम और सूफ़िया हज़रत सब अपने पैरोकारों की शफ़ाअत करेंगे और रूह निकलते वक़्त उनकी निगेहबानी करेंगे और यूंही मुनकर ओ नकीर के सवालात के वक़्त और हश्र ओ नश्र और हिसाब और मीज़ान-ए-अमल और पुल-ए-सिरात से गुज़रने के वक़्त ख़्याल रखेंगे और हश्र के इन मक़ामात में से किसी मक़ाम में अपने पैरोकारों से ग़ाफ़िल नहीं होंगे।”

इसके बाद इरशाद फ़रमाते हैं: “जब मशायख़ सूफ़िया दुनिया व आख़िरत में तमाम मुश्किलात और तकलीफ़ों में अपने मुरीदों और पैरोकारों की निगरानी फ़रमाते हैं, तो आइम्मा दीन कैसे नहीं निगरानी करेंगे। जो तमाम जहां की मेख़ें और दीन के स्तून और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत पर अमीन हैं। बिलाशुब्बा वो ज़रूर ज़रूर मदद फ़रमाते हैं।”

शेख़ अल-इस्लाम नासिरुद्दीन लक़ानी को विसाल के बाद बाज़ नेक लोगों ने ख़्वाब में देखा। उनसे पूछा: अल्लाह तबारक व त'आला ने आपके साथ क्या मुआमला फ़रमाया? जवाब दिया: “क़ब्र में जब मुनकर ओ नकीर ने सवालात के लिए मुझे बिठाया तो हज़रत इमाम मालिक तशरीफ़ लाए और कहा: क्या ऐसे शख़्स से भी अल्लाह व रसूल पर

उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा? इसके पास से हट जाओ। चुनाचे मुनकर ओ नकीर हट गए।" (मीज़ान अश-शरीअ़त, पेज 87)

इसके बाद इमाम शाअरानी फ़रमाते हैं: "हमारा यह अतिक़ाद है कि सहाबा किराम व ताबेईन और आइम्मा मुजतहिदीन का मक़ाम दीगर तमाम औलिया किराम के मक़ाम से ज़्यादा बड़ा व अज़ीम है।" (मीज़ान अश-शरीअ़त अल-कुबरा, पेज 172, मतबूआ मिस्र)

इन अक़्वाल के इलावा भी बुज़ुर्गों के अक़्वाल की नहरें मौजें मार रही हैं और उनके फ़य्यूज़ का समंदर हिरें ले रहा है, मगर इंसाफ़ वाले के लिए ये चंद अक़्वाल ही काफ़ी हैं और तअस्सुब (हक़ीक़त ज़ाहिर हो जाने के बाद भी हक़ बात से इनकार) करने वाले के लिए दफ़्तर भी काफ़ी नहीं।

"व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन"

आ़ला हज़रत की वसीयत अवाम ए अहले सुन्नत के लिए

प्यारे भाईओं !

मुझे मालूम नहीं के में कितने दिन तुम्हारे अंदर ठहरू तीन ही वक़्त होते हैं बचपन, जवानी बुढ़ापा, बचपन गया जवानी आयी जवानी गयी बुढ़ापा आया अब कोनसा चौथा वक़्त आने वाला है जिस का इंतज़ार किया जाये, एक मौत ही है, अल्लाह क़ादिर है के ऐसी हज़ार मजलिसें अता फरमाए और आप सब लोग हों, मैं हूँ और मैं आप सब लोगों को सुनाता हूँ मगर वज़ाहिर इस की उम्मीद नहीं इस वक़्त में दो वसीयतें आप लोगों को करना चाहता हूँ एक तो अल्लाह व रसूल की और दूसरी खुद मेरी

तुम मुस्तफ़ा ﷺ की भोली भेंड़े हो भेड़िये तुम्हारे चारो तरफ़ हैं ये चाहते हैं के तुम्हें बहकायें तुम्हें फ़ितने में डाल दें तुम्हें अपने साथ जहन्नुम में ले जाएँ उन से बचो और दूर भागो देओबंदी हुए, राफ्ज़ी हुए, नेचरी हुए, कादयानी हुए, चकढ़ालवी हुए गरज़ कितने ही फ़िरक़े हुए और अब सब से नए गांधवी हुए जिन्होंने उन सब को अपने अंदर ले लिया ये सब भेड़िये हैं तुम्हारे ईमान की ताक में हैं इन के हमलों से ईमान को बचाओ

हुज़ूर रब उल इज़्ज़त के नूर हैं हुज़ूर से सहाबा रौशन हुए उन से ताबेईन रौशन हुए उन से अयम्मा ए मुज्तहेदीन रौशन हुए उन से हम रोशन हुए अब हम तुम से कहते हैं ये नूर हम से ले लो हमें इस की ज़रुरत है के तुम हम से रौशन हो वो नूर ये है के अल्लाह व रसूल से सच्ची मुहब्बत, उन की ताज़ीम और उन के दोस्तों की खिदमत और उन की तकरीम और उन के दुश्मनों से सच्ची अदावत जिस से अल्लाह व रसूल ﷺ की शान में अदना तौहीन पाओ फिर वो तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों न हो फ़ौरन उस से जुदा हो जाओ जिस को बारगाहे ए रिसालत में ज़रा भी गुस्ताख़ देखो फिर वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म क्यों न हो अपने अंदर से उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो

मैं पौने चौदह बरस की उम्र से यहीं बताता रहा और इस वक़्त फिर यही अर्ज करता हूँ अल्लाह तआला अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बन्दे को खड़ा कर देगा मगर मालूम नहीं मेरे बाद जो आये कैसा हो और तुम्हें क्या बताये इस लिए इन बातों को खूब सुन लो हुज्जत उल अल्लाह कायम हो चुकी अब मैं क़ब्र से उठ कर तुम्हारे पास बताने न आऊंगा जिस ने इसे सुना और माना क़यामत के दिन उस के लिए नूर व निजात है और जिस ने न माना उस के लिए ज़ुल्मत व हलाकत ये तो खुदा व रसूल की वसीयत है जो यहाँ मौजूद हैं सुनें और मानें और जो यहाँ मौजूद नहीं तो हाज़िरीन पर फ़र्ज़ है के गा़यबीन (यानी जो मौजूद नहीं) को इस से आगाह करें।

अवाम ए अहले सुन्नत से अपील है के खुदारा खुदारा। ऐसे काम बिलकुल न करें यानी बदमजहबो, वहाबियों देवबंदियों से मेल जोल शादी निकाह, इत्तेहाद, और सुल्लकुल्लियत जेहन जिससे ईमान को नुकसान पहुंचे और जो आलाहज़रत ने हमें तालीम दी हैं उस पर अमल करें और मसलक ए आलाहज़रत पर कायम रहें अल्हम्दुलिल्लाह हम ही अहले सुन्नत व जमाअत (जन्नती जमाअत) हैं